सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 1148 राँची, सोमवार, 25 दिसम्बर, 2018 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।

अधिसूचना

24 दिसम्बर, 2018

संख्या :- 01/नीति-28/2018-2135-- झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 (झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) की धारा 89 की उपधारा 1 एवं उपधारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड सरकार इस संबंध में निर्गत पूर्व के नियमों/अनुदेशों/उपबंधों को जहाँ तक वह इस नियमावली से असंगत हों, अधिक्रांत करते हुए, **''झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018''** बनाती है, जो निम्नलिखित है :-

अध्याय - 1

संक्षिप्त नाम, विस्तार, आरम्भ एवं परिभाषाएं

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, आरंभ एवं परिभाषाएं -** (क) यह नियमावली, ''झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018'' कही जाएगी।

ख) इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा।

ग) उक्त अधिसूचना गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएं -** जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में -

i) **''अधिनियम''** से अभिप्रेत है, झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 ।

ii) **''अनुज्ञप्ति शुल्क''** से अभिप्रेत है, मदिरा की प्रत्येक प्रकार की खुदरा दुकानों के लिए निर्धारित अनुज्ञाशुल्क।

iii) **''बोर्ड''** से अभिप्रेत है, झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का **''बोर्ड ऑफ डायरेक्टर''।**

iv) **''राजस्व पर्षद''** से अभिप्रेत है, सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखंड।

v) **''विहित प्रपत्र''** से अभिप्रेत है, सदस्य, राजस्व पर्षद की सहमति से विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र।

vi) **''निगम''** से अभिप्रेत है, झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड।

vii) **''विभाग''** से अभिप्रेत है, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखंड।

viii) **''आयुक्त उत्पाद''** से अभिप्रेत है, आयुक्त उत्पाद, झारखंड।

ix) **''कम्पोजिट शराब दुकान''** से अभिप्रेत है, वैसी दुकान जहाँ एक ही अनुज्ञप्ति के अंतर्गत देशी शराब/ मसालेदार/ Flavoured देशी शराब/विदेशी शराब तथा बीयर/वाईन इत्यादि की बिक्री हो।

x) **''देशी शराब की दुकान''** से अभिप्रेत है, देशी शराब/मसालेदार/ Flavoured देशी शराब बिक्री की दुकान।

xi) **''विदेशी शराब की दुकान''** से अभिप्रेत है, भारत निर्मित विदेशी शराब, आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतल बंद), बीयर, वाईन इत्यादि की बिक्री की दुकान।

xii) **''ऑफ दुकान''** से अभिप्रेत है, जहाँ शराब का उपभोग अनुज्ञप्ति परिसर में अनुमत न हो।

xiii) **''ऑन दुकान''** से अभिप्रेत है, जहाँ शराब का उपभोग अनुज्ञप्ति परिसर में अनुमत हो एवं यह प्रसाधन एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था से युक्त हो।

xiv) **''उत्पाद वर्ष''** से अभिप्रेत है, 1 अप्रैल से आरम्भ होकर आगामी कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाला वित्तीय वर्ष अथवा सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय वर्ष।

xv) **''अनुज्ञप्ति प्राधिकार अथवा अनुज्ञप्ति पदाधिकारी''** से अभिप्रेत है, जिला के उपायुक्त / समाहर्त्ता।

xvi) **"विदेशी शराब"** से अभिप्रेत है, विभागीय अधिसूचना संख्या 470/एफ० दिनांक-15.01.1919 में यथा परिभाषित।

xvii) **"अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य (Maximum Retail Price)"** से अभिप्रेत है, खुदरा उत्पाद दुकानों से ग्राहकों को उपलब्ध करायी जाने वाली मदिरा का खुदरा विक्रय मूल्य।

xviii) **"लॉटरी"** से अभिप्रेत है, आयुक्त उत्पाद के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मदिरा की खुदरा बिक्री, विभिन्न प्रकार की दुकानों की अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु सार्वजनिक रूप से एक या एक से अधिक आवेदकों के बीच दुकानवार/सीमित समूहवार लॉटरी विधि द्वारा बंदोबस्ती करना। लॉटरी में ई-लॉटरी विधि भी सम्मिलित समझी जायेगी।

xix) **"बंदोबस्त पदाधिकारी"** से अभिप्रेत है, स्वयं अनुज्ञप्ति पदाधिकारी या अनुज्ञप्ति प्राधिकार अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी, जो विभाग द्वारा विहित प्रक्रिया के तहत खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती सम्पन्न करायें।

xx) **"आवेदन शुल्क"** से अभिप्रेत है, लॉटरी निकालकर उत्पाद अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती के निमित्त आवेदन के साथ लिया जाने वाला शुल्क, जो लौटाया नहीं जायेगा।

xxi) **"उत्पाद परिवहन कर (Excise Transport Duty)"** से अभिप्रेत है, मदिरा की थोक बिक्री केन्द्र से खुदरा अनुज्ञप्ति परिसर में, मदिरा के परिवहन की अनुमति हेतु, अग्रिम रूप में अधिरोपित किया जाना वाला उत्पाद कर।

xxii) **"वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत** कर **(Minimum Guaranteed Duty)"** से अभिप्रेत है, खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारियों द्वारा बिक्री की जाने वाली मदिरा से, एक उत्पाद वर्ष में राज्य सरकार को प्राप्त होने वाला उत्पाद कर, जिसका जिलावार निर्धारण आयुक्त उत्पाद के द्वारा एवं दुकानवार निर्धारण/अनुमोदन अनुज्ञप्ति प्राधिकार के द्वारा किया जायेगा।

xxiii) **"मदिरा की बिक्री से प्राप्त उत्पाद राजस्व"** से अभिप्रेत है, मदिरा दुकान के लिए निर्धारित उत्पाद कर एवं उत्पाद परिवहन कर का योग।

xxiv) **"परिवार"** से अभिप्रेत है, दम्पत्ति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्रों, अविवाहित पुत्रियों और आश्रित माता-पिता से है और वे इसमें शामिल हैं।

xxv) **"प्रतिभूति धनराशि (Security Deposit)"** से अभिप्रेत है, खुदरा उत्पाद दुकान/ दुकानों का समूह से प्राप्त किया जाने वाला कुल वार्षिक उत्पाद राजस्व के 5% के बराबर की धनराशि, जिसे बंदोबस्ती में सफल आवेदक द्वारा जमा किया जायेगा एवं जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अंतिम निस्तारण के पश्चात वापस किये जाने योग्य है।

xxvi) **"मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत कर (डयूटी)** **(Monthly Minimum Guaranteed Duty)**" से अभिप्रेत है, एक उत्पाद वर्ष में प्राप्त किया जाने वाला न्यूनतम प्रत्याभूत कर (डयूटी) का इस नियमावली के तहत उत्पाद वर्ष के भिन्न-भिन्न त्रैमासों में समानुपातिक रूप से अथवा त्रैमास के अंतर्गत भिन्न-भिन्न अनुपात में इस नियमावली के अंतर्गत किये गये विभाजन के अनुसार प्रति माह प्राप्त किया जाने वाला उत्पाद कर।

xxvii) **"धरोहर धनराशि** **(Earnest Money Deposit)**" से अभिप्रेत है, अनुज्ञप्ति की स्वीकृति की पात्रता की शर्त्तों की पूर्त्ति सुनिश्चित किये जाने के लिए आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली दुकान के वार्षिक उत्पाद राजस्व का 1/50 वाँ भाग के बराबर की धनराशि, जो व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के तहत वर्णित नियमों के अंतर्गत जब्त किये जाने योग्य होगी।

xxviii) **"बंदोबस्ती"** से अभिप्रेत है, उत्पाद वर्ष के दौरान लॉटरी के माध्यम से दुकानों का व्यवस्थापन (Settlement), जो समाचार पत्र एवं उत्पाद विभाग के वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं सूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिए दुकानों का व्यवस्थापन (Settlement)/नवीकरण (Renewal) चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जायेगा।

xxix) **"नवीकरण"** से अभिप्रेत है, खुदरा उत्पाद अनुज्ञप्तियों द्वारा विभाग द्वारा निर्धारित शर्त्तों के पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप, आगामी उत्पाद वर्ष के लिए अनुज्ञप्तियों का नवीकरण।

xxx) **"अतिरिक्त उत्पाद कर"** का तात्पर्य, देशी/मसालेदार/ Flavoured देशी मदिरा, विदेशी शराब/बीयर इत्यादि के अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य को अगले पूर्णांक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अंतर की धनराशि से है, जो आसवनी/यवासवनी, बोतलबंदी इकाई स्तर पर वसूलनीय होगी।

xxxi) **"व्यक्ति"** से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति, जो आवेदन करने के समय 21 वर्ष की आयु से अन्यून हो एवं भारत का नागरिक हो।

xxxii) **"आवेदक"** से अभिप्रेत है, खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती हेतु आवेदन करने वाला मुख्य व्यक्ति अथवा उसका सह आवेदक (व्यक्ति)। आवेदन व्यक्ति द्वारा एकल रूप में अथवा सह आवेदक के साथ भी दिया जा सकता है।

xxxiii) **"मॉडल शॉप"** से अभिप्रेत है, केवल नगर निगम एवं नगरपरिषद क्षेत्र में अवस्थित, वातानुकूलित एवं 600 वर्गफीट से अन्यून क्षेत्रफल वाली आयातित विदेशी मदिरा/भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर, वाईन, ब्रीजर इत्यादि की बिक्री की ऑन दुकान, जिसके अनुज्ञाधारी के पास मदिरापान करने वाले व्यक्तियों को अल्पाहार प्रस्तुत करने के लिए किचन एवं

प्रसाधन की व्यवस्था हो। यह मॉडल शॉप विदेशी मदिरा की ऑफ बिक्री की दुकान के ही धारक को दी जा सकेगी, जिसके लिए इच्छुक अनुज्ञाधारी का वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत कर 20% बढ़ाकर निर्धारित किया जायेगा। मॉडल शॉप के तहत मदिरापान की अनुमति दुकान के संलग्न परिसर में ही दी जायेगी।

xxxiv) ''**Departmental Store**'' से अभिप्रेत है, ऐसा व्यवसायिक प्रतिष्ठान अथवा दुकान, जिसमें आम उपभोक्ताओं के उपभोग हेतु कई प्रकार के वस्तुओं की बिक्री की अलग-अलग विभाग हैं तथा जिस दुकान का क्षेत्रफल (Carpet Area) न्यूनतम 1500 वर्गफीट हो। इस दुकान के 10% हिस्से में ही मदिरा के संचय की अनुमति दी जा सकेगी। इन दुकानों से मदिरा की केवल ऑफ बिक्री की जायेगी। इस स्थल पर 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का प्रवेश निषेध रहेगा।

xxxv) **''मॉल में विदेशी मदिरा की ऑफ दुकान''**, से अभिप्रेत है, 50000 वर्गफीट से अन्यून क्षेत्रफल वाले मॉल में संचालित की जाने वाली विदेशी मदिरा की दुकान। मॉल में संचालित की जाने वाली इस प्रकार की दुकान का न्यूनतम क्षेत्रफल 200 वर्गफीट होना चाहिए।

xxxvi) **''बीयर एवं वाइन की ऑफ बिक्री की दुकान''** से अभिप्रेत है, 15% v/v से कम अल्कोहलिक शक्ति की मदिरा यथा बीयर, वाईन, ब्रीजर इत्यादि की बिक्री की ऑफ दुकान।

xxxvii) **''पॉपुलर ब्रांड''** से अभिप्रेत है, मदिरा [भारत निर्मित विदेशी शराब/बीयर/ वाईन/आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद)] के वैसे ब्रांड, जिनका संपूर्ण झारखंड राज्य में बाजार हिस्सेदारी (Market Share) अपने कटेगरी में 10% से अधिक हो। समय-समय पर आयुक्त उत्पाद के द्वारा पॉपुलर ब्रांड की सूची बिक्री के अनुसार जारी की जायेगी। मदिरा की खुदरा बिक्री के सभी अनुज्ञाधारी पॉपुलर ब्राण्ड को दुकान में अवश्य रखेंगे।

xxxviii) ''**JSBCL** का थोक विक्रय मूल्य'' से अभिप्रेत है, खुदरा अनुज्ञाधारी को मदिरा की बिक्री हेतु निर्धारित मूल्य, जिसमें मदिरा के विनिर्माता द्वारा समर्पित ex-distillery price/ex-brewery price/ex-winery price, सभी प्रकार के उत्पाद कर एवं शुल्क, मूल्यवर्धित कर तथा JSBCL का लाभांश सम्मिलित है।

नोटः- इस नियमावली में प्रयुक्त अन्य शब्द, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, का तात्पर्य वही होगा, जो झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 एवं उसके अंतर्गत बनायी गई अन्य नियमावली में है।

अध्याय - 2

दुकानों का प्रकार

3. **खुदरा उत्पाद दुकानों का प्रकार -**

i. **देशी शराब की ऑन एवं ऑफ दुकान -** इन दुकानों में देशी शराब के अतिरिक्त मसालेदार/ Flavoured देशी शराब की भी बिक्री की जायेगी। ऑन बिक्री हेतु स्थल की अनुपलब्धता की दशा में अनुज्ञाधारी के अनुरोध पर इन दुकानों से केवल ऑफ बिक्री की भी अनुमति दी जा सकेगी। ऑफ बिक्री हेतु स्वीकृति मिलने की स्थिति में झारखंड उत्पाद अधिनियम के तहत ऑन दुकानों से संबंधित बंधेज, देशी शराब की ऑफ दुकानों के लिए लागू नहीं होंगे।

ii. **विदेशी शराब की ऑफ दुकानें -** इन दुकानों में विदेशी शराब यथा भारत निर्मित विह्स्की, ब्रांडी, रम, जिन, वाइन, आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद), बीयर, ब्रीजर इत्यादि की ऑफ बिक्री की जायेगी।

iii. **ऑफ एवं ऑन कम्पोजिट दुकान -** इन दुकानों में देशी शराब/मसालेदार/ Flavoured देशी शराब, भारत निर्मित विदेशी शराब, आयातित विदेशी शराब (मूल में बोतलबंद), बीयर, वाईन इत्यादि की बिक्री की जायेगी। ये दुकानें नगर निगम एवं नगर परिषद क्षेत्रों के अलावा अन्य सभी क्षेत्रों में खोली जा सकेंगी। अनुज्ञाधारी की ऑफ कम्पोजिट दुकान को ऑन कम्पोजिट दुकान में उत्क्रमित किये जाने पर निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जायेगी।

iv. **बीयर एवं वाइन की ऑफ बिक्री की दुकान -** इन दुकानों के द्वारा कम अल्कोहलिक शक्ति की मदिरा (15% v/v से न्यून) यथा बीयर, वाईन, ब्रीजर इत्यादि की बिक्री की जायेगी। ये अनुज्ञप्तियाँ उन्हीं Grocery/General Stores की दुकान, को दी जायेंगी, जो कम-से-कम 3 (तीन) वर्षो से संचालित की जा रही हों।

v. **विदेशी मदिरा की मॉडल शॉप -** विदेशी मदिरा की ऑफ दुकानों के पास मॉडल शॉप के लिए निर्धारित शर्त्तो के अनुरूप स्थल होने पर उनके आवेदन पर मॉडल शॉप में उत्क्रमित (Upgrade) कर दी जायेगी। इन दुकानों में आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद)/भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, वाईन, ब्रीजर इत्यादि की बिक्री की जायेगी। ये दुकानें ऑन प्रवृत्ति की होंगी। ये दुकानें केवल नगर निगम एवं नगर परिषद क्षेत्रों में ही खोली जायेंगी। उत्क्रमित होने की दशा में इन दुकानों के लिए पूर्व निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद कर (डयूटी) में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जायेगी।

vi. **Departmental Stores में भारत निर्मित विदेशी मदिरा/आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद) की बिक्री की प्रीमियम दुकानें -** ये दुकानें केवल नगरीय क्षेत्र में खोली जा सकेंगी। विहित रूप से अभ्यावेदन के आधार पर आयुक्त उत्पाद की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत इस प्रकार के दुकानों की बंदोबस्ती जिला के उपायुक्त के द्वारा की जायेगी। ये दुकानें ऑफ प्रवृति की होंगी।

vii. **मॉल में विदेशी मदिरा की दुकान** - इस प्रकार की दुकान केवल वैसे मॉल में खोली जा सकेंगी, जिसके कारपेट एरिया का क्षेत्रफल 50000 वर्गफीट से अन्यून हो (पार्किंग एरिया को छोड़कर)। एक मॉल में अधिकतम दो दुकान खोली जा सकेगी। इन अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदक विहित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करेगा। ये अनुज्ञप्तियाँ ऑफ प्रकृति की होगी। ये अनुज्ञप्तियाँ सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष के लिए प्रदान की जाएंगी एवं प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष में इनका नवीकरण विभाग द्वारा निर्धारित राजस्व की शर्तों के अनुरूप किया जायेगा। इन दुकानों का न्यूनतम प्रत्याभूत कर (Minimum Guaranteed Duty) निर्धारित नहीं किया जायेगा। अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु पात्रता खुदरा उत्पाद दुकानों की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए निर्धारित पात्रता के अनुसार होगी। इस अनुज्ञप्ति के तहत भारत निर्मित विदेशी मदिरा की 600 रूपया से कम खुदरा विक्रय मूल्य की मदिरा नहीं बेची जायेगी। इनके द्वारा आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद), बीयर, वाईन एवं ब्रीजर की सभी पैक साइज की बिक्री की जा सकेगी। अनुज्ञाधारी के द्वारा मदिरा का उठाव मदिरा में सन्निहित उत्पाद राजस्व (उत्पाद कर + उत्पाद परिवहन कर) के पूर्णरूपेण जमा करने के उपरांत किया जायेगा। इन दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क 2 लाख 40 हजार रूपये प्रति वित्तीय वर्ष होगा एवं वित्तीय वर्ष के मध्य में अनुज्ञप्ति मिलने पर समानुपातिक रूप से अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा तथा जमानत (Security Deposit) की राशि 4 लाख रूपये निर्धारित की जाती है।

आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद) की बिक्री के लिए अनुज्ञाधारियों को अलग से 50 (पचास) हजार रूपये वार्षिक विशेषाधिकार शुल्क नहीं देना होगा, जैसा कि भारत में आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद) के दुकान के झारखंड राज्य में आयात, वितरकता, थोक एवं खुदरा बिक्री नियमावली, 2012 में प्रावधानित है। आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद) के झारखंड राज्य में आयात, वितरकता, थोक एवं खुदरा बिक्री नियमावली, 2012 इस हद संशोधित समझी जायेगी।

viii. **Departmental Stores** में भारत निर्मित विदेशी मदिरा/आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद) की बिक्री की प्रीमियम दुकानें, मॉल में विदेशी मदिरा की दुकान एवं विदेशी मदिरा की मॉडल शॉप की अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति आयुक्त उत्पाद के द्वारा प्रदान की जायेंगी। आयुक्त उत्पाद से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती की कार्रवाई जिला उपायुक्त के द्वारा की जायेगी।

4. **Departmental Stores** में मदिरा के दुकानों का संचालन - (1) राज्य में अवस्थित वैसे **Departmental Stores** जिनका क्षेत्रफल न्यूनतम 1500 (एक हजार पाँच सौ) वर्ग फीट है, में प्रीमियम ब्राण्ड की भारत निर्मित विदेशी मदिरा, जिसका अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य 1000 रूपये से अधिक हो तथा आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद) सभी पैक साईज में, के अतिरिक्त बीयर एवं वाईन इत्यादि सभी पैक साईज में की बिक्री की जायेगी। ये अनुज्ञप्तियाँ सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष के लिए प्रदान की जाएंगी एवं प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष में इनका नवीकरण विभाग द्वारा निर्धारित राजस्व की शर्तों के अनुरूप किया जायेगा। इन दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क 2 लाख 40 हजार रूपये प्रति वित्तीय वर्ष होगा एवं वित्तीय वर्ष के मध्य में अनुज्ञप्ति मिलने पर समानुपातिक रूप से अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा। Departmental Store के अनुज्ञाधारियों द्वारा जमानत की राशि (Security Deposit) के रूप

में 3 लाख रूपये जमा किया जायेगा। इन दुकानों के लिए किसी प्रकार की न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी नहीं रहेगी, परंतु मदिरा का उठाव उत्पाद कर एवं उत्पाद परिवहन कर सहित JSBCL के थोक बिक्री मूल्य पर किया जायेगा। **Departmental Stores** के कुल क्षेत्रफल के 10% हिस्से में इस प्रकार की दुकानें खोली जा सकेंगी, परंतु इस क्षेत्र में 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का प्रवेश निषेध रहेगा। इन दुकानों की प्रकृति **"ऑफ दुकान"** की होगी अर्थात मदिरा का उपभोग यहाँ अनुमत नहीं होगा। ये अनुज्ञप्तियाँ तीन वित्तीय वर्ष के लिए प्रदान की जायेंगी तथा इनका नवीकरण राज्य सरकार द्वारा राजस्व हित में ली गई नीतिगत निर्णय के अनुरूप किया जा सकेगा।

(2) इस प्रकार की अनुज्ञप्ति के लिए कोई भी व्यक्ति/पार्टनरशीप फर्म/कम्पनी, जो विगत वर्ष में संचालित किये गये हों तथा यथाविनिर्दिष्ट राशि से अधिक राशि का GST Return विगत वर्ष में दाखिल किया गया हो, आवेदन कर सकती है।

(3) **Departmental Store** में संचालित की जाने वाली मदिरा की दुकान की संख्या जिलावार निर्धारित की जायेगी। दुकानों की संख्या का निर्धारण उस जिला के लिए स्वीकृत कुल खुदरा उत्पाद दुकानों की संख्या का 5% से अधिक नहीं होगा। जिला अंतर्गत निर्धारित दुकानों की संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में इन दुकानों की बंदोबस्ती लॉटरी विधि से की जायेगी।

5. **मॉडल शॉप्स का संचालन** - (1) मॉडल शॉप्स का संचालन करने के लिए इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम भारत निर्मित विदेशी शराब की ऑफ दुकान की बंदोबस्ती प्राप्त करने के लिए आवेदन करेगा। यदि आवेदक मॉडल शॉप्स का संचालन करना चाहता है, तो उसे अपनी विदेशी मदिरा की दुकान के अनुज्ञप्ति को मॉडल शॉप में उत्क्रमित करने के लिए अलग से आवेदन करना होगा।

(2) भारत निर्मित विदेशी शराब की ऑफ दुकान की बंदोबस्ती में सफल व्यक्ति, जो मॉडल शॉप्स का संचालन करना चाहता है, वह उक्त स्थल के नक्शे एवं स्थल संबंधित कागजातों के साथ विभाग द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार आवेदन समर्पित करेगा।

(3) जिस व्यक्ति के पास मॉडल शॉप के संचालन हेतु आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध हैं, वे ही व्यक्ति इसके लिए अभ्यावेदन कर सकेंगे। इन अनुज्ञप्तियों का नवीकरण आगामी वित्तीय वर्षो में किया जा सकेगा।

(4) मॉडल शॉप के इन अनुज्ञाधारियों के लिए अनिवार्य रूप से कुल उत्पाद राजस्व का 20% अतिरिक्त न्यूनतम प्रत्याभूत कर (डयूटी) निर्धारित की जायेगी। प्रत्येक मॉडल शॉप को अपने आप को अनिवार्य रूप से **"ऑन"** दुकानों की अवस्थिति से संबंधित बंधेजों से युक्त रखते हुए मदिरापान हेतु वातानुकूलित कक्ष, टेबल, कुर्सी, प्रसाधन एवं स्वच्छ किचन की व्यवस्था करनी होगी।

(5) प्रत्येक मॉडल शॉप को अपनी दुकान में झारखंड राज्य में प्रचलित पॉपुलर ब्रांड की उपलब्धता सुनिश्चित कराना अनिवार्य है।

6. **बीयर एवं वाईन की ऑफ दुकान का संचालन** - (1) नगर निकायों में ये अनुज्ञप्तियाँ वैसे Grocery/General Stores को दी जायेंगी, जो कम-से-कम तीन वर्ष से कार्यरत हो। नगर निगम क्षेत्र में इस प्रकार की दुकान के लिए, आवेदक का विगत वर्ष का GST Return में कम-से-कम 50 (पचास) लाख रूपये की राशि तथा नगरपरिषद क्षेत्र व नगर पंचायत क्षेत्र में इस प्रकार की दुकान के लिए आवेदक का विगत वर्ष का GST Return में कम-से-कम 30 (तीस) लाख रूपये की राशि विगत वित्तीय वर्ष में दाखिल की गई हो।

(2) बीयर एवं वाईन की ऑफ दुकान की संख्या जिलावार निर्धारित की जायेगी। दुकानों की संख्या का निर्धारण उस जिला के लिए स्वीकृत कुल खुदरा उत्पाद दुकानों की संख्या का 10% से अधिक नहीं होगा। ये अनुज्ञप्तियाँ सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष के लिए प्रदान की जाएंगी एवं प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष में इनका नवीकरण विभाग द्वारा निर्धारित राजस्व की शर्त्तो के अनुरूप किया जायेगा। इस प्रकार की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे एवं जिलावार विभाग द्वारा आकलित संख्या से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी विधि से इन दुकानों की बंदोबस्ती की जायेगी। विभाग द्वारा आकलित संख्या से कम आवेदन प्राप्त होने पर योग्य आवेदकों के साथ दुकानों की बंदोबस्ती कर दी जायेगी।

(3) इन दुकानों में बीयर/वाईन/ब्रीजर इत्यादि का उपभोग प्रतिबंधित है। 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बीयर/वाईन/ब्रीजर इत्यादि की बिक्री नहीं की जायेगी। अनुज्ञप्ति परिसर में मदिरा उपभोग करते हुए पाये जाने पर अनुज्ञप्तिधारी झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 के सुसंगत धाराओं के तहत दण्ड का भागी होगा एवं उसकी अनुज्ञप्ति भी विखंडित की जा सकती है।

(4) इस प्रकार की अनुज्ञप्तियों का अनुज्ञप्ति शुल्क रू० 120000/- (एक लाख बीस हजार रूपये) प्रति वित्तीय वर्ष होगा तथा वित्तीय वर्ष के बीच में बंदोबस्ती होने पर समानुपातिक रूप से अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा। बीयर एवं वाईन की ऑफ दुकान का अनुज्ञाधारी रू० 120000/- (एक लाख बीस हजार रूपये) जमानत की राशि (Security Deposit) के रूप में जमा करेगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारी बीयर/वाईन का उठाव झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के थोक बिक्री गोदाम से करेगा। मदिरा के उठाव हेतु अनुज्ञाधारी JSBCL के थोक बिक्री मूल्य, उत्पाद कर एवं उत्पाद परिवहन कर (Excise Transport Duty) सहित, अग्रिम रूप में जमा करेगा।

(6) इन दुकानों के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी निर्धारित नहीं की जायेगी।

(7) अनुज्ञाधारी को बीयर को ठंडा रखने के लिए फ्रीज की व्यवस्था करनी होगी एवं इसे चालू अवस्था में रखना होगा।

अध्याय - 3

बंदोबस्ती की प्रक्रिया

7. **खुदरा उत्पाद दुकानां की संख्या एवं स्थान का निर्धारण -** जिला में संचालित की जाने वाली खुदरा उत्पाद दुकानों की संख्या (देशी शराब की ऑन एवं ऑफ दुकान, विदेशी शराब की ऑफ दुकान, ऑन एवं ऑफ कम्पोजिट दुकान) एवं स्थान का आकलन जिला समाहर्त्ता/उपायुक्त के द्वारा सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद की मदद से किया जायेगा। जिला हेतु निर्धारित कुल उत्पाद दुकानों की शत.प्रतिशत बंदोबस्ती सुनिश्चित कराने की जिम्मेवारी बंदोबस्त पदाधिकारी की होगी।

8. खुदरा उत्पाद दुकानों से प्राप्त होने वाले उत्पाद राजस्व, अनुज्ञप्ति शुल्क, उत्पाद परिवहन कर (**Excise Transport Duty**) एवं न्यूनतम प्रत्याभूत कर (डयूटी) का निर्धारण - राज्य स्तर पर खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती से प्राप्त होने वाले कुल उत्पाद राजस्व का जिलावार आकलन आयुक्त उत्पाद के द्वारा किया जायेगा। दुकानों से प्राप्त होने वाली उत्पाद परिवहन कर एवं न्यूनतम प्रत्याभूत कर (डयूटी) का गणना इस नियमावली के अनुसूची - 1 के अनुरूप किया जायेगा। खुदरा उत्पाद दुकानों से प्राप्त होने वाला उत्पाद राजस्व में उत्पाद कर (**Excise Duty**) एवं उत्पाद परिवहन कर (**Excise Transport Duty**) के अनुपात में आवश्यकतानुसार समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा। राज्य स्तर पर आकलित इस उत्पाद राजस्व लक्ष्य का जिलावार वितरण आयुक्त उत्पाद के द्वारा किया जायेगा। उत्पाद परिवहन कर (**Excise Transport Duty**) खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारियों द्वारा JSBCL के खाते में अग्रिम रूप से जमा किया जायेगा तथा उत्पाद कर वितरकता/विनिर्माता कम्पनी द्वारा राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप अग्रिम रूप से कोषागार में जमा किया जायेगा।

आयुक्त उत्पाद के द्वारा जिलावार निर्धारित राजस्व लक्ष्य के अनुरूप दुकानवार राजस्व लक्ष्य एवं तदनुरूप उत्पाद परिवहन कर एवं न्यूनतम प्रत्याभूत कर (डयूटी) (Minimum Guaranteed Duty) का निर्धारण/अनुमोदन जिला समाहर्त्ता/उपायुक्त के द्वारा किया जायेगा। दुकानवार राजस्व लक्ष्य का निर्धारण करने हेतु आयुक्त उत्पाद के द्वारा बंदोबस्ती के लिए दिशा-निर्देश सभी उपायुक्त/उपायुक्त उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद को दिया जायेगा, इन दिशा-निदेशों का अनुपालन जिला स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा।

9. **खुदरा उत्पाद दुकानों के बंदोबस्ती प्रस्तावों का प्रेषण** - जिला समाहर्त्ता/उपायुक्त के द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों की संख्या एवं स्थान का निर्धारण के पश्चात आगामी वित्तीय वर्ष के लिए खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती का प्रस्ताव झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 में वर्णित सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आयुक्त उत्पाद के पास भेजा जायेगा। आयुक्त उत्पाद की सहमति के उपरांत ही जिला समाहर्त्ता/उपायुक्त के द्वारा दुकानों की संख्या एवं स्थान को अंतिम रूप देते हुए उत्पाद परिवहन कर (Excise Transport Duty) एवं न्यूनतम प्रत्याभूत कर (डयूटी) (Minimum Guarantee Duty), अनुज्ञप्ति शुल्क, धरोहर धनराशि एवं आवेदन शुल्क के साथ बंदोबस्ती हेतु बिक्री अधिसूचना प्रकाशित की जायेगी।

10. **बिक्री अधिसूचना का प्रकाशन** - (1) विहित रीति से उत्पाद अनुज्ञप्तियों की लॉटरी के माध्यम से बंदोबस्ती के लिए बिक्री अधिसूचना राजस्व पर्षद द्वारा अनुमोदित उत्पाद प्रपत्र 127 में प्रकाशित की जायेगी। इस बिक्री अधिसूचना की एक प्रति समाहरणालय/जिला उत्पाद कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी। बिक्री अधिसूचना का प्रकाशन राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में भी कराया जायेगा। बिक्री अधिसूचना समान्यतः बंदोबस्ती की तिथि से 15 दिन पूर्व प्रकाशित की जायेगी, परंतु विशेष परिस्थिति में 15 दिनों से कम समय में भी बिक्री अधिसूचना प्रकाशित की जा सकेगी।

(2) बिक्री अधिसूचना की शर्त्तें अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्त्तें मानी जायेंगी।

(3) बिक्री अधिसूचना में अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा बंदोबस्त की जाने वाली प्रत्येक दुकान का ब्यौरा वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत कर (डयूटी), वार्षिक न्यूनतम उत्पाद परिवहन कर, वार्षिक अनुज्ञाशुल्क, धरोहर धनराशि एवं आवेदन शुल्क संबंधी ब्यौरा अंकित किया जायेगा।

11. **खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती की तिथि का निर्धारण** - (1) विभिन्न जिलों में किसी अवधि के लिए बंदोबस्ती की प्रथम तिथि का निर्धारण आयुक्त उत्पाद द्वारा निश्चित एवं अधिसूचित की जायेगी। बंदोबस्ती की इन तिथियों को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हुए अनुज्ञप्ति पदाधिकारियों को सूचित किया जायेगा। अनुज्ञप्ति पदाधिकारी अपने जिलों से संबंधित दुकानों की विस्तृत सूची एवं वांछित सूचनाओं को प्रकाशित कराते हुए अभ्यावेदन आमंत्रित करेंगे तथा निर्धारित तिथियों को विभाग द्वारा विहित प्रक्रिया के तहत बंदोबस्ती की कार्रवाई संपादित करायेंगे।

(2) अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा प्रथम चक्र की बंदोबस्ती के पश्चात शेष अनुज्ञप्तियों के बंदोबस्ती की तिथि की घोषणा की जायेगी एवं कार्यक्रम को अधिसूचित एवं प्रकाशित किया जायेगा। राजस्व हित में अबंदोबस्त अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती हेतु अविलंब (अधिकतम 7 दिनों के अंदर) पुनः बंदोबस्ती अधिसूचना प्रकाशित कर दी जायेगी।

(3) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन प्रारम्भ करने की तिथि, आयुक्त उत्पाद द्वारा अलग से घोषित की जायेगी।

12. **अभ्यावेदन हेतु पात्रता की शर्त्तें** - मदिरा की खुदरा बिक्री की दुकानों की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदकों को निम्नलिखित शर्त्तें अवश्य पूरी करनी होंगी -

i. आवेदक भारत का नागरिक हो एवं 21 वर्ष से कम आयु का न हो।

ii. आवेदक, किसी भी राज्य में मदिरा का विनिर्माता एवं थोक वितरक न हो।

iii. आवेदक व्यतिक्रमी/काली सूची में सम्मिलित अथवा झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 के अंतर्गत बनायी गई किसी नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत उत्पाद अनुज्ञप्ति धारण करने से वर्जित न किया गया हो।

iv. आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा किसी भी गैर जमानती अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया गया हो। यदि किसी आवेदक को फौजदारी न्यायालय द्वारा सजा दी गई हो, अथवा झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अथवा झारखंड छोआ अधिनियम, 1947, औषधियों एवं प्रसाधन निर्मितियों (उत्पाद कर) अधिनियम, 1955 से संबंधित कानूनों एवं नियमों के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो, तो इसके अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

v. आवेदक के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई सरकारी बकाया न हो।

vi. आवेदक दिवालिया न हो।

उपरोक्त शर्त्तो को पूर्ण नहीं करने वाले आवेदकों के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

13. खुदरा उत्पाद दुकानों के लिए आवेदन के साथ समर्पित किया जाने वाला शपथ पत्र-

आवेदक निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख करते हुए नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र समर्पित करेगा :-

i. यह कि वह 21 वर्ष से अधिक आयु का है।

ii. यह कि समय-समय पर यथा संशोधित झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 के प्रावधानों के अनुकूल उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु आपत्तिरहित उपयुक्त परिसर रखता है अथवा किराये पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबंध कर सकता है एवं परिसर नहीं प्राप्त करने की स्थिति के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

iii. यह कि दुकान के परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

iv. यह कि उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 या स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी अधिनियम, 1985, झारखंड छोआ अधिनियम, 1947, औषधियों एवं प्रसाधन निर्मित्तियाँ (उत्पाद कर) अधिनियम, 1955 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय गैर जमानती अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया गया हो।

v. यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता या प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो।

vi. यह कि अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयनित हो जाने पर जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद से अपने प्राधिकृत विक्रेता/प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करेगा एवं दुकान के विक्रेता बिक्री काल में उसे पहने रहेंगे।

vii. यह कि उसपर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है।

viii. यह कि वह सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त होने के उपरांत भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसे प्रदान किया गया अनुज्ञप्ति निरस्त कर दिया जाए।

ix. यह कि वह राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आयुक्त उत्पाद द्वारा यथानिर्धारित धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) विभाग के राजकीय खाते में विहित विधि अथवा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जैसा कि आयुक्त उत्पाद निर्धारित करें, आवेदन के साथ जमा करेगा।

x. यह कि वह आयकरदाता है एवं यदि वह आयकरदाता नहीं है, तो खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारी के रूप में चयन होने के उपरांत वह आगामी वर्षों में आयकर रिटर्न दाखिल करेगा।

xi. यह कि वह दिवालिया नहीं है और आवश्यक निधि रखता है या उसके कारोबार के सम्व्यवहार के लिए आवश्यक निधि का प्रबंध कर लिया है, जिसका ब्यौरा यदि अपेक्षित होगा, तो लाईसेंस प्राधिकार को उपलब्ध करा देगा।

xii. यह कि वह भारतवर्ष के किसी भी राज्य में मदिरा के विनिर्माण, वितरकता एवं थोक बिक्री की अनुज्ञप्ति का धारक नहीं है।

xiii. यह कि वह खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती प्राप्त करने के उपरांत दुकान को किसी अन्य व्यक्ति को सबलीज नहीं करेगा।

xiv. यह कि अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरांत आवेदक अथवा सह आवेदक अनुसूचित (Scheduled) बैंक में चालू खाता खोलेंगे।

xv. यह कि यदि वह दुकान की बंदोबस्ती हेतु लॉटरी में सफल होता है, तो 5 दिनों के अंदर आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजातों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति मूल प्रमाण पत्र के साथ जिला उत्पाद कार्यालय में जमा करेगा।

xvi. यह कि उपरोक्त शपथ में दिये गये सभी कथन सत्य हैं और किसी तथ्य को छुपाये जाने पर जिसकी जानकारी बाद में यदि सरकार को मिलती है, तो मेरी अनुज्ञप्ति को रद्द किया जा सकता है एवं इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा एवं मेरे उपर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा।

14. **आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजात** - लॉटरी के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती में भाग लेने वाले आवेदकों को अपने आवेदन के साथ वैयक्तिक पहचान प्रमाण पत्र (Identity Proof) एवं आवास के प्रमाण हेतु कागजात निम्न तालिका के अनुसार समर्पित करने होंगे :-

क्र.सं.	वैयक्तिक पहचान पत्र से संबंधित	निवास के प्रमाण से	पत्राचार पता से संबंधित

	कागजात (निम्न में से कोई एक)	संबंधित कागजात (निम्न में से कोई एक)	कागजात (निम्न में से कोई एक)
1	आधार कार्ड	पासपोर्ट	पासपोर्ट
2	मतदाता पहचान पत्र	अनुमंडल पदाधिकारी से अन्यून पदाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र	मतदाता पहचान पत्र
3	आयकर विभाग द्वारा निर्गत Permanent Account Number (PAN)	बिजली बिल	ड्राईविंग लाइसेंस
4		टेलिफोन बिल	आधार कार्ड
5		बैंक का जीवित चालू खाता के स्टेटमेंटस	बैंक का जीवित चालू खाता के स्टेटमेंटस

उपरोक्त के अतिरिक्त विहित प्रपत्र में आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न करना आवश्यक है :-

i. विहित प्रपत्र में फोटोयुक्त आवेदन
ii. आधार कार्ड
iii. इस नियमावली के नियम 13 में वर्णित शर्तों के अनुरूप शपथ पत्र
iv. कुल वार्षिक उत्पाद राजस्व (उत्पाद कर एवं उत्पाद परिवहन कर का योग) का 1/50वाँ भाग के समतुल्य धरोहर राशि (Earnest Money Deposit)।
v. अपने बैंक खाता/बैंक खातों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
vi. पैन कार्ड एवं ITR/GST Return की छायाप्रति निम्नरूपेण संलग्न करना होगा

क्र०	दुकान का प्रकार	पैन कार्ड/ GSTIN	ITR/GST Return	ITR/GST Return में दर्ज आय/Turnover
1	देशी शराब की ऑन एवं ऑफ दुकान	PAN अनिवार्य है।	अनिवार्य नहीं है।	-
2	विदेशी शराब की ऑफ दुकानें	PAN अनिवार्य है।	ITR अनिवार्य है।	2.5 लाख रूपये से अधिक {वित्तीय वर्ष 2016-17, कर निर्धारण वर्ष (Assesment Year 2017-18}
3	ऑफ एवं ऑन कम्पोजिट दुकान	PAN अनिवार्य है।	ITR अनिवार्य है।	2.5 लाख रूपये से अधिक {वित्तीय वर्ष 2016-17, कर निर्धारण वर्ष (Assesment Year 2017-18}

4	मॉल में विदेशी मदिरा की ऑफ दुकानें	PAN अनिवार्य है।	ITR अनिवार्य है।	5 लाख रूपये से अधिक {वित्तीय वर्ष 2016-17, कर निर्धारण वर्ष (Assesment Year 2017-18}
5	बीयर एवं वाइन की ऑफ बिक्री की दुकान	GSTIN अनिवार्य है।	GST Return अनिवार्य है।	विगत वर्ष में 50 लाख रूपये से अधिक (नगर निगम क्षेत्र के लिए) एवं 30 लाख रूपये से अधिक (अन्य क्षेत्रों के लिए) (Assesment Year 2017-18)
6	Departmental Stores में भारत निर्मित विदेशी मदिरा/आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद) की बिक्री की दुकानें	GSTIN अनिवार्य है।	GST Return अनिवार्य है।	2 करोड़ रूपये से अधिक विगत वर्ष (Assesment Year 2017-18)

राज्य में मदिरा के विनिर्माणकर्त्ता/आपूर्त्तिकर्त्ता अनुज्ञप्तिधारी, खुदरा अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन समर्पित करने हेतु योग्य पात्र नहीं होंगे।

15. **आवेदन करने की प्रक्रिया एवं आवेदन शुल्क -** (1) एक दुकान या उससे अधिक दुकानों/दुकानों के समूह की बंदोबस्ती में भाग लेने वाला अभ्यर्थी अपेक्षित आवेदन शुल्क, धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) के साथ विहित आवेदन प्रपत्र में सभी वांछित कागजातों के साथ विहित विधि से आवेदन समर्पित करेगा। ई-लॉटरी विधि से दुकानों की बंदोबस्ती सम्पन्न कराये जाने की स्थिति में, ई-लॉटरी विकसित करने वाली एजेन्सी द्वारा चार्ज किया जाने वाला प्रोसेसिंग शुल्क (सभी प्रकार के करों सहित) का भुगतान आवेदक को, इस नियमावली की अनुसूची - 1 में वर्णित आवेदन शुल्क के अतिरिक्त करना होगा।

(2) लॉटरी द्वारा बंदोबस्ती की जाने वाली खुदरा उत्पाद दुकानों के लिए प्रत्येक इच्छुक अभ्यर्थी को अनुसूची - 1 में वर्णित दर के अनुरूप आवेदन शुल्क जमा करना होगा।

(3) अनुवर्त्ती उत्पाद वर्षो के लिए आवेदन शुल्क एवं अनुज्ञप्ति शुल्क की राशि आयुक्त उत्पाद के द्वारा अधिसूचित की जायेगी।

(4) एक दुकान अथवा दुकान के समूह के लिए एक आवेदक के द्वारा अधिकतम तीन आवेदन समर्पित किये जा सकते हैं, बशर्त्ते कि सभी आवेदनों के साथ, उस दुकान/दुकान के समूह के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क एवं धरोहर धनराशि संलग्न की गई हो।

(5) आवेदन शुल्क अप्रत्यर्पणीय होगा अर्थात वापस अथवा सामंजित नहीं किया जायेगा।

(6) आवेदन का प्रपत्र, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के विभागीय पोर्टल से डाउनलोड की जा सकेगी अथवा किसी जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा अथवा विहित प्रपत्र में आवेदन ऑनलाइन किया जा सकेगा।

(7) आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के उपरांत समर्पित किये गये आवेदन स्वीकृत नहीं किये जायेंगे एवं विचारणीय नहीं होंगे। अपूर्ण आवेदनों पर भी विचार नहीं किया जायेगा।

16. **खुदरा उत्पाद दुकानों हेतु समूह का गठन -** (1) सभी प्रकार की शराब की खुदरा उत्पाद दुकानों की अधिकतम तीन दुकानों का एक समूह गठित किया जा सकेगा। समूह के गठन में बंदोबस्त पदाधिकारी इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक अधिक राजस्व, एक मध्यम राजस्व एवं एक छोटी राजस्व आकार की दुकानों का समूह आवश्यकतानुसार इस प्रकार गठित किया जायेगा कि समूहवार बंदोबस्ती में शत-प्रतिशत दुकानों की बंदोबस्ती सुनिश्चित करायी जा सके।

(2) एक जिले में एक आवेदक स्वयं अथवा सह आवेदक के साथ अधिकतम दो दुकानों अथवा दुकानों के समूह की ही बंदोबस्ती ले सकेगा। उदाहरणस्वरूप - यदि किसी आवेदक का नाम किसी एकल दुकान तथा तीन दुकानों के समूह के लिए चयनित होता है, तो वह अधिकतम चार दुकान का ही अनुज्ञप्तिधारी होगा। उसी प्रकार यदि आवेदक दो एकल दुकानों के समूह के लिए चयनित हो जाता है, तो वह केवल दो दुकान का ही अनुज्ञप्तिधारी रह सकेगा। इस प्रकार कोई भी आवेदक (मुख्य आवेदक + सह आवेदक के साथ) एक जिला में अधिकतम छः दुकान की ही बंदोबस्ती ले सकेगा।

(3) किसी भी व्यक्ति (आवेदक एवं सह आवेदक सहित) के साथ संपूर्ण झारखंड राज्य में अधिकतम 6 दुकान अथवा 6 दुकानों के समूह की बंदोबस्ती की जा सकेगी अर्थात एक व्यक्ति के साथ अधिकतम 6 से 18 तक की संख्या में दुकानों की बंदोबस्ती की जा सकेगी।

17. **खुदरा उत्पाद दुकानों के बंदोबस्ती की प्रक्रिया -** (1) योग्य आवेदकों के बीच खुदरा उत्पाद दुकान/ उत्पाद दुकानों के समूह की बंदोबस्ती, लॉटरी विधि से अथवा जैसा कि आयुक्त उत्पाद विनिश्चित करें, की जायेगी। लॉटरी यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया (Randomization) से की जायेगी।

(2) किसी दुकान अथवा दुकान के समूह के लिए एकल आवेदन प्राप्त होने की दशा में उस आवेदक के साथ दुकान की बंदोबस्ती कर दी जायेगी। दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर, योग्य आवेदकों का चयन लॉटरी द्वारा क्रमवार ढंग से किया जायेगा। सर्वप्रथम दुकान की बंदोबस्ती प्रथम चयनित आवेदक के साथ की जायेगी। प्रथम आवेदक द्वारा यदि अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए ससमय यथाविनिर्दिष्ट राजस्व नहीं जमा किया जाता है, तो दुकान की बंदोबस्ती द्वितीय सफल आवेदक के साथ की जायेगी। यदि द्वितीय सफल आवेदक भी बंदोबस्ती लेने के लिए ससमय यथाविनिर्दिष्ट राजस्व नहीं जमा करता है, तो दुकान की बंदोबस्ती तृतीय सफल आवेदक के साथ की जायेगी। तृतीय सफल आवेदक भी यदि ससमय यथाविनिर्दिष्ट राजस्व नहीं जमा करता है, तो दुकान की पुनर्बंदोबस्ती विज्ञप्ति प्रकाशित करके की जायेगी।

लॉटरी में सफल आवेदकों द्वारा बंदोबस्ती लेने के लिए यदि ससमय यथाविनिर्दिष्ट राजस्व जमा नहीं किया जाता है, तो उनके द्वारा जमा की गई धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) को जब्त कर लिया जायेगा तथा उन आवेदकों का नाम काली सूची में दर्ज किया जायेगा। ऐसे आवेदक भविष्य में किसी भी प्रकार के उत्पाद अनुज्ञप्ति धारण नहीं कर सकेंगे।

(3) कोई भी आवेदक एक जिला में दो दुकान अथवा दुकानों के समूह (अधिकतम तीन दुकानों का समूह), से अधिक की बंदोबस्ती नहीं ले सकेंगे। लॉटरी के माध्यम से दो दुकान अथवा दो दुकानों के समूह में लॉटरी द्वारा चयन होने के उपरांत उस आवेदक का नाम उस जिला के लिए योग्य आवेदकों की सूची से हटा ली जायेगी।

18. **बंदोबस्ती हेतु सक्षम प्राधिकार -** जिला मुख्यालयों में बंदोबस्ती अनुज्ञप्ति पदाधिकारी के द्वारा सम्पन्न की जायेगी। यदि अनुज्ञप्ति पदाधिकारी किसी अपरिहार्य कारणों से स्वयं बंदोबस्ती का संचालन करने में असमर्थ हो, तो इस हेतु वे उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद अथवा अन्य पदाधिकारी, जिसे वे उचित समझें, को बंदोबस्ती कराने के लिए प्राधिकृत कर सकेंगे। प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा बंदोबस्ती की समस्त कार्रवाई की जायेगी तथा इसका अनुमोदन अनुज्ञप्ति पदाधिकारी से प्राप्त किया जायेगा।

19. **खुदरा उत्पाद दुकानों के अनुज्ञप्तियों की कालावधि -** (1) इस नियमावली के तहत खुदरा उत्पाद दुकानों की अनुज्ञप्तियाँ प्रारम्भिक तौर पर अगले तीन वर्षों की ब्लॉक अवधि (इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से दिनांक 31.03.2022 तक) के लिए बंदोबस्त की जायेंगी। परंतु, ये अनुज्ञप्तियाँ एक उत्पाद वर्ष या उसके भाग के लिए ही प्रदान की जायेंगी, जिनका आगामी वित्तीय वर्षो के लिए नवीकरण, दुकानों के संतुष्टिपूर्वक नियमानुसार चलाये जाने तथा विभाग द्वारा निर्धारित शर्त्तों एवं चालू वर्ष तथा पूर्व उत्पाद वर्ष के लिए वांछित उत्पाद राजस्व की प्राप्ति के उपरांत आगामी उत्पाद वर्ष के लिए पुनर्निर्धारित राजस्व/शर्त्त के अनुसार किया जा सकेगा।

केवल वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए इस नियमावली के तहत अनुज्ञप्तियाँ बंदोबस्ती के उपरांत अनुज्ञप्ति निर्गत की तिथि से दिनांक 31.03.2020 तक की अवधि के लिए प्रदान की जायेंगी तथा अनुवर्त्ती दो वर्षो (वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2021-22) में इनका नवीकरण एक-एक वित्तीय वर्ष के लिए किया जायेगा। इस नीति के प्रवृत्त होने के उपरांत विलंब से बंदोबस्त होने वाली अनुज्ञप्तियाँ दिनांक 31.03.2022 तक के लिए ही बंदोबस्ती की जायेंगी।

(2) अनुज्ञप्ति अवधि में विखंडित दुकानों एवं अनवीकृत दुकानों की पुनर्बंदोबस्ती, विहित प्रक्रिया के तहत बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा दुकान के विखंडित होने के एक सप्ताह के अंदर बिक्री अधिसूचना पुनः प्रकाशित करते हुए बंदोबस्ती सुनिश्चित करायी जायेगी, जिससे कि सरकार को राजस्व की क्षति न हो।

20. **अनुज्ञप्तियों के नवीकरण की प्रक्रिया -** प्रत्येक आगामी उत्पाद वर्ष में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारियों के द्वारा अपनी-अपनी अनुज्ञप्तियों के नवीकरण हेतु अभ्यावेदन चालू वित्तीय वर्ष के 20 जनवरी तक कर दिया जायेगा। केवल उन्हीं अनुज्ञप्तियों के नवीकरण पर विचार किया जायेगा, जो निम्नलिखित शर्त्तों को पूर्ण करते हैं :-

i. अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत की तिथि से माह दिसम्बर तक की अवधि में ससमय उत्पाद परिवहन कर (Excise Transportation Duty) जमा कर दिया गया हो। यदि उत्पाद परिवहन कर (Excise Transportation Duty) विलंब से जमा किया गया हो, तो तदनुसार विलंब शुल्क भी इनके द्वारा जमा कर दिया गया हो।

ii. अनुज्ञाधारी द्वारा माह दिसम्बर तक के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत कर (डयूटी) के अनुरूप मदिरा का उठाव कर लिया गया हो। यदि न्यूनतम प्रत्याभूत कर (डयूटी) के अनुरूप मदिरा का उठाव नहीं किया गया है, तो राज्य सरकार को हुई राजस्व क्षति के समतुल्य की राशि दण्ड स्वरूप ससमय कोषागार में जमा कर दी गई हो।

iii. अनुज्ञाधारी के विरूद्ध राजस्व क्षति व दुकान संचालन से संबंधित गंभीर अनियमितता दर्ज नहीं की गई हो।

iv. अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु निर्धारित दर पर, जैसा कि विभाग द्वारा तय किया जाय, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क की राशि जमा कर दी गई हो।

v. आगामी उत्पाद वर्ष के लिए आयुक्त उत्पाद द्वारा पुनर्निर्धारित उत्पाद राजस्व के अनुरूप राशि जमा करने के लिए अनुज्ञाधारी अपनी लिखित सहमति देगा।

21. **दुकानों की अवस्थिति** - (1) लॉटरी द्वारा बंदोबस्त होने वाली खुदरा उत्पाद दुकानों की अवस्थिति के मामले में दुकानों के स्थान के बदले एक या अनेक दुकानों का क्षेत्र घोषित कर बंदोबस्ती की जा सकेगी।

(2) खुदरा उत्पाद दुकानों की अवस्थिति से संबंधित झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 में वर्णित नियम के अतिरिक्त समय-समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 12164-12166/2016 - "State of Tamilnadu Vrs. K. Balu & ANR" में दिनांक-15.12.2016 एवं उक्त न्यायादेश में समय-समय पर पारित संशोधन आदेश को दृष्टिपथ रखते हुए जिला के उपायुक्त द्वारा दुकानों का स्थल निर्धारित किया जायेगा।

22. **खुदरा उत्पाद दुकानों के स्थल का अनुमोदन** - (1) लॉटरी में सफल अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उस दुकान के लिए सात दिनों के अंदर आपत्तिरहित स्थल, प्रस्तावित दुकान परिसर के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ जिला उत्पाद कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा। स्थल की स्वीकृति/ अस्वीकृति से संबंधित निर्णय आवेदन प्राप्ति के अधिकतम 7 दिनों के अंदर अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा ले लिया जायेगा, अन्यथा स्थल अनुमोदन में हुए विलंब के कारण हुई राजस्व क्षति के लिए अनुज्ञप्ति पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। जिला समाहर्त्ता/उपायुक्त द्वारा अनुमोदित स्थल पर ही दुकान खोली जायेगी।

(2) स्थल के चयन में विलंब अथवा दुकान खोलने में विलंब के लिए अनुज्ञाधारी स्वयं जिम्मेवार होगा एवं इससे हुई उत्पाद राजस्व की हानि अनुज्ञाधारी से वसूलनीय होगी।

(3) न्यूनतम प्रत्याभूत कर (डयूटी) के अनुरूप मदिरा का उठाव एवं संचय करने का पर्याप्त स्थान मुख्य अनुज्ञप्ति परिसर में होना चाहिए। यदि मुख्य अनुज्ञप्ति परिसर में पर्याप्त स्थान नहीं है, तो जिला उपायुक्त/ समाहर्त्ता के द्वारा उस दुकान से संलग्न स्थल पर अतिरिक्त गोदाम खोलने की अनुमति दी जा सकती है। गोदामां के लिए स्थल निश्चित रूप से दुकान से लगा होना चाहिए, इसकी पूरी जिम्मेदारी अनुज्ञप्तिधारी की होगी। इसीलिए आवेदक अनुज्ञप्ति हेतु दुकान लेते समय न्यूनतम प्रत्याभूत कर (डयूटी) के अनुसार आवश्यक क्षेत्रफल की दुकान लेना सुनिश्चित करेंगे।

अध्याय - 4

बंदोबस्ती के पूर्व एवं उसके बाद जमा किया जाने वाला उत्पाद राजस्व

23. **बंदोबस्ती हेतु आवेदन शुल्क, धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit), प्रतिभूति राशि (Security Deposit), अग्रिम अनुज्ञाशुल्क एवं अग्रिम उत्पाद परिवहन कर (Excise Transportation Duty) का भुगतान -** (1) बिक्री अधिसूचना में दुकानों की सूची के साथ अधिसूचित, क्षेत्रवार निर्धारित आवेदन शुल्क विभाग द्वारा यथाविहित प्रक्रिया के तहत जमा किया जायेगा। यह राशि अप्रत्यर्पणीय (Non-refundable) होगी। आवेदन शुल्क पर लगने वाला Service Tax एवं अन्य करों का भुगतान आवेदक को करना होगा।

(2) दुकान हेतु निर्धारित कुल उत्पाद राजस्व का 1/50वाँ भाग धरोहर धनराशि के रूप में विहित विधि अथवा बैंक ड्राफ्ट के द्वारा अथवा जैसा कि आयुक्त उत्पाद के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, जमा की जायेगी। असफल आवेदकों की धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) बंदोबस्ती प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत यथाशीघ्र वापस कर दी जायेगी। सफल आवेदकों द्वारा जमा की गई धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) को जमानत की राशि (Security Deposit) के विरूद्ध समायोजित कर लिया जायेगा।

(3) दुकान हेतु निर्धारित कुल वार्षिक उत्पाद राजस्व का 5% प्रतिभूति राशि के रूप में विहित ऑनलाइन विधि अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में अधिकतम पाँच (5) कार्य दिवसों के अंतर्गत जमा करना होगा। यह राशि राज्य सरकार के सिविल डिपोजिट हेड 8443 के अंतर्गत जमा की जायेगी। यदि किसी आवेदक के द्वारा जमा की गई कुल धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) आवश्यक जमानत की राशि से अधिक है, तो उसे प्रतिभूति राशि में सामंजित कर दिया जायेगा एवं अंतर राशि वापस कर दी जायेगी, परंतु यदि आवेदक के द्वारा जमा की गई कुल धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) प्रतिभूति राशि से कम है, तो उन्हें अंतर राशि को जमा करना होगा। प्रतिभूति राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (National Saving Certificate) के रूप में भी जमा की जा सकेगी। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (National Saving Certificate) के रूप में जमा की गई प्रतिभूति राशि आयुक्त उत्पाद के नाम से थातीकृत (Pledged) रहेगी। यह राशि अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के बाद राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अंतिम निस्तारण के पश्चात वापस किये जाने योग्य है। इस राशि की वापसी में अनुज्ञाधारी को किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा {राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (National Saving Certificate) को छोड़कर}। ससमय प्रतिभूति राशि जमा नहीं करने पर अनुज्ञप्ति पदाधिकारी आवेदक के पक्ष में किये गये बंदोबस्ती को निरस्त कर द्वितीय एवं तृतीय बंदोबस्त क्रेता को क्रमानुसार आमंत्रित कर सकता है।

(4) दुकान हेतु निर्धारित कुल वार्षिक उत्पाद राजस्व का 10% उत्पाद परिवहन कर के मद में अग्रिम रूप से बैंक ड्राफ्ट/विहित ऑनलाइन विधि के द्वारा अधिकतम पाँच (5) कार्य दिवसों (बंदोबस्ती की तिथि को छोड़कर) के अंतर्गत जमा करना होगा। अग्रिम उत्पाद परिवहन कर का सामंजन अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के अंतिम माह में किया जायेगा, यदि अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्ति को द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए अवधि विस्तार दिया जाता है, तो वैसी परिस्थिति में पुनर्निर्धारित दर पर तय की गई उत्पाद परिवहन कर की अंतर राशि अनुज्ञाधारी को नवीकरण हेतु अभ्यावेदन समर्पित करते समय जमा कर देना होगा।

(5) **अनुज्ञप्ति शुल्क -** सफल आवेदक को दुकान की अवस्थिति के अनुसार अनुसूची - 1 में यथा वर्णित वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क, अनुज्ञप्ति प्राप्ति के पूर्व एकमुश्त जमा करना होगा। अनुज्ञप्ति शुल्क पर लगने वाला Service Tax एवं अन्य करों का भुगतान आवेदक को करना होगा।

24. **मासिक उत्पाद परिवहन कर का भुगतान -** (1) प्रत्येक दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक उत्पाद परिवहन कर के 12वें भाग का भुगतान, उत्पाद परिवहन कर जमा करने हेतु JSBCL द्वारा संधारित बैंक खाता में अग्रिम रूप से प्रत्येक माह की 15वीं तिथि तक करना अनिवार्य होगा। 15वीं तारीख तक उत्पाद परिवहन कर जमा नहीं करने पर विलंब होने की स्थिति में मासिक देय उत्पाद परिवहन कर पर प्रति दिन 5% की दर से विलंब शुल्क की राशि परिगणित कर वसूल की जायेगी। यदि माह के 15वीं को अवकाश हो, तो उसके अगले कार्य दिवस को उत्पाद परिवहन कर जमा किया जा सकेगा एवं ऐसी परिस्थिति में विलंब शुल्क की राशि देय नहीं होगी। सामान्यतः दुकान का उत्पाद परिवहन कर वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह से जमा किया जायेगा, परंतु यदि दुकान की बंदोबस्ती वित्तीय वर्ष के मध्य में होती है, तो उस माह की शेष अवधि के लिए उत्पाद परिवहन कर समानुपातिक रूप में जमा किया जायेगा तथा आगामी माह से प्रत्येक माह में वार्षिक उत्पाद परिवहन कर का 1/12वाँ जमा किया जायेगा।

(2) उत्पाद परिवहन कर की राशि प्राप्त करने के उपरांत JSBCL के द्वारा इसे प्रत्येक सोमवार या अगले कार्य दिवस को राज्य कोषागार में जमा कर दिया जायेगा। JSBCL के द्वारा मदिरा आपूर्त्तिकर्त्ता कम्पनियों को मदिरा का JSBCL में लैंडिंग मूल्य का भुगतान भी प्रत्येक सोमवार अथवा उसके अगले कार्य दिवस को कर दिया जायेगा।

25. **वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी का मासिक बँटवारा एवं तदनुरूप मदिरा का उठाव -**

(1) दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी का बँटवारा निम्नवत किया जायेगा-

क्र०	**त्रैमास**	**माह का नाम**	**न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी का प्रतिशत**
1	प्रथम त्रैमास	अप्रैल	9%
		मई	9%
		जून	9%
2	द्वितीय त्रैमास	जुलाई	6%
		अगस्त	6%
		सितम्बर	7%
3	तृतीय त्रैमास	अक्टूबर	9%
		नवम्बर	9%
		दिसम्बर	9%
4	चतुर्थ त्रैमास	जनवरी	9%
		फरवरी	9%
		मार्च	9%
		कुल	**100%**

(2) प्रत्येक त्रैमास अंतर्गत माह में उसके एक भाग के समतुल्य मदिरा का उठाव अनुज्ञाधारी को करना अनिवार्य होगा। यदि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के बाद किसी माह के बीच में अनुज्ञप्ति की बंदोबस्ती हो, तो अनुज्ञप्ति मिलने की तिथि से समानुपातिक न्यूनतम प्रत्याभूत कर (डयूटी) के समतुल्य प्रत्याभूत का उठाव अनिवार्य होगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत कर (डयूटी) के अनुरूप मदिरा का उठाव माह की अंतिम तिथि तक कर सकता है, परंतु वह मदिरा के उठाव हेतु सभी प्रकार के वांछित शुल्कों/कर के भुगतान के पश्चात माह की 25वीं तारीख तक Indent, JSBCL के थोक बिक्री केन्द्र को परमिट के साथ उपलब्ध करा देगा, ताकि ससमय मदिरा का निर्गमन दिया जा सके। यदि अनुज्ञप्तिधारी किसी अपरिहार्य कारणवश उक्त माह के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत कर (डयूटी) के अनुरूप मदिरा का उठाव नहीं कर पाता है, तो वह लिखित रूप से अनुरोध कर सकेगा कि नहीं उठायी गई मात्रा को अगले माह के 10वीं तारीख तक अवश्य उठाव कर लेगा। यदि अनुज्ञाधारी अगले

माह की 10वीं तारीख तक ऐसा नहीं करता है, तो उसे उस न्यूनतम प्रत्याभूत कर (डयूटी), जिसका उठाव नहीं किया गया है, के समतुल्य राशि कोषागार में जमा कर देना होगा। ऐसा नहीं करने पर शेष बचे न्यूनतम प्रत्याभूत कर (डयूटी) पर प्रतिदिन 5% की दर से विलंब शुल्क जमा करना होगा।

किसी माह के शेष बचे न्यूनतम प्रत्याभूत कर (डयूटी) के समतुल्य मदिरा का अगले माह में उठाव का अवसर वित्तीय वर्ष में अधिकतम दो बार अनुज्ञप्तिधारी को दिया जायेगा, परंतु यह दो बार का अवसर लगातार (Consecutive) महीने में नहीं दिया जायेगा। मार्च माह का न्यूनतम प्रत्याभूत कर (डयूटी) के समतुल्य मदिरा का उठाव अप्रैल माह में नहीं किया जा सकेगा।

(4) जिला उत्पाद पदाधिकारी इस बात का ध्यान रखेंगे कि अनुज्ञाधारी द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि एवं अग्रिम उत्पाद परिवहन कर से अधिक उत्पाद राजस्व की हानि न हो पाय। ऐसा होने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अनुज्ञप्ति को विखंडित कर पुनर्बंदोबस्ती की कार्रवाई करेंगे।

(5) यदि खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारी दुकान के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत कर (डयूटी) (Minimum Guaranteed Duty) की राशि के समतुल्य मदिरा से अधिक मदिरा का उठाव करना चाहता है, तो उसे समानुपातिक रूप से उत्पाद परिवहन कर (Excise Transporation Duty) भी अग्रिम रूप में जमा करना होगा।

(6) पूर्व के माह में न्यूनतम प्रत्याभूत कर (डयूटी) से ज्यादा किये गये उठाव का सांमजन अगले माह/ माहों के न्यूनतम प्रत्याभूत कर (डयूटी) के उठाव में नहीं किया जा सकेगा।

<u>अध्याय - 5</u>

उत्पाद वस्तुओं (भारत निर्मित विदेशी शराब, आयातित विदेशी शराब (मूल में बोतलबंद), बीयर, वाईन, *Low Strength Carbonated Alcohlic Beverage (LAB)* यथा ब्रीजर, देशी शराब, मसालेदार/ *Flavoured* देशी शराब) पर अधिरोपित किया जाने वाला उत्पाद कर

26. **उत्पाद वस्तुओं पर अधिरोपित किया जाने वाला कर -** भारत निर्मित विदेशी शराब, बीयर, वाइन, Low Strength Carbonated Alcoholic Beverage (LAB), आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद), देशी मदिरा एवं मसालेदार/ Flavoured देशी मदिरा पर निम्न तालिका के अनुसार उत्पाद कर (इस नियमावली के तहत खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन की तिथि से) अधिरोपित किये जायेंगे :-

(i) भारत निर्मित विदेशी शराब के उपर अधिरोपित की जाने वाली उत्पाद कर की संरचना -

क्र. सं.	मदिरा का प्रकार	EDP प्रति केस (रू० में)	उत्पाद कर
1	25^0 UP की भारत निर्मित विदेशी शराब (विहस्की, रम, ब्राण्डी, वोडका, जिन इत्यादि)	0-500	रू० 46.00/- बल्क लीटर
2	25^0 UP की भारत निर्मित विदेशी शराब (विहस्की, रम, ब्राण्डी, वोडका, जिन इत्यादि)	500 से अधिक एवं 750 तक	रू० 57.00/ बल्क लीटर
3	25^0 UP की भारत निर्मित विदेशी शराब (विहस्की, रम, ब्राण्डी, वोडका, जिन इत्यादि)	750 से अधिक एवं 1000 तक	रू० 64.50/ बल्क लीटर
4	25^0 UP की भारत निर्मित विदेशी शराब (विहस्की, रम, ब्राण्डी, वोडका, जिन इत्यादि)	1000 से अधिक एवं 1550 तक	रू० 68.00/ बल्क लीटर
5	25^0 UP की भारत निर्मित विदेशी शराब (विहस्की, रम, ब्राण्डी, वोडका, जिन इत्यादि)	1550 से अधिक एवं 3000 तक	रू० 77.00/ बल्क लीटर
6	25^0 UP की भारत निर्मित विदेशी शराब (विहस्की, रम, ब्राण्डी, वोडका, जिन इत्यादि)	3000 से अधिक एवं 5000 तक	रू० 80.00/ बल्क लीटर
7	25^0 UP की भारत निर्मित विदेशी शराब (विहस्की, रम, ब्राण्डी, वोडका, जिन इत्यादि)	5000 से अधिक	रू० 100.00/ बल्क लीटर

नोट :- 25^0 UP से ज्यादा शक्ति की भारत निर्मित विदेशी मदिरा की खुदरा बिक्री नहीं की जायेगी। 25^0 UP से भिन्न अन्य शक्ति की भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर भी उपरोक्त तालिका के अनुसार उत्पाद कर अधिरोपित किया जायेगा, जबतक कि अलग से उस मदिरा के लिए उत्पाद कर निर्धारित नहीं की गई हो।

(ii) भारत निर्मित बीयर पर अधिरोपित की जाने वाली उत्पाद कर एवं विदेशों से आयातित बीयर (मूल में बोतलबंद) पर अधिरोपित की जाने वाली परिवहन पास फी की संरचना -

क्र. सं.	बीयर का प्रकार	उत्पाद कर (भारत निर्मित बीयर)	उत्पाद परिवहन पास फी आयातित विदेशी बीयर (मूल में बोतलबंद) के लिए
1	शून्य से 5% v/v तक शक्ति की बीयर	रू0 7.50/ बल्क लीटर	रू0 7.50/ बल्क लीटर
2	5% v/v से अधिक एवं 8% v/v तक की शक्ति की बीयर	रू0 14/ बल्क लीटर	रू0 14/ बल्क लीटर
3	8% v/v से अधिक शक्ति की बीयर	रू0 17.50/ बल्क लीटर	रू0 17.50/ बल्क लीटर

(iii) भारत में निर्मित Low Strength Carbonated Alcoholic Beverage (LAB)/Brezzer पर अधिरोपित की जाने वाली उत्पाद कर एवं आयातित विदेशी LAB, ब्रीजर (मूल में बोतलबंद) के उपर अधिरोपित की जाने वाली परिवहन पास फी की संरचना -

क्र. सं.	Low Strength Carbonated Alcoholic Beverage (LAB)/ ब्रीजर का प्रकार	उत्पाद कर (भारत निर्मित (LAB)/ब्रीजर)	उत्पाद परिवहन पास फी (आयातित विदेशी (LAB)/ब्रीजर (मूल में बोतलबंद के लिए)
1	5% v/v से कम शक्ति की Low Strength Carbonated Alcoholic Beverage (LAB)/Brezzer	रू0 7.50/ बल्क लीटर	रू0 7.50/ बल्क लीटर
2	5% v/v से अधिक, परंतु 8% v/v तक की शक्ति की Low Strength Carbonated Alcoholic Beverage (LAB)/Brezzer	रू0 14/ बल्क लीटर	रू0 14/ - बल्क लीटर

नोट :- 5% v/v से अधिक शक्ति की Low Strength Carbonated Alcoholic Beverage (LAB)/ Brezzer को भी विदेशी मदिरा की श्रेणी में माना जायेगा।

(iv) भारत में निर्मित वाइन (लिक्योर, शैम्पेन) पर अधिरोपित किया जाने वाला उत्पाद कर एवं विदेशों से आयातित (मूल में बोतलबंद) वाइन (लिक्योर, शैम्पेन) के उपर अधिरोपित की जाने वाली परिवहन पास फी की संरचना -

क्र. सं.	वाइन का प्रकार	उत्पाद कर (भारत निर्मित वाइन (लिक्योर, शैम्पेन के लिए)	उत्पाद परिवहन पास फी आयातित विदेशी वाइन, लिक्योर, शैम्पेन (मूल में बोतलबंद) के लिए
1	शून्य से 15% v/v शक्ति तक की वाइन	रू0 15/- बल्क लीटर	रू0 15/- बल्क लीटर
2	15% v/v से अधिक शक्ति की वाइन	रू0 20/- बल्क लीटर	रू0 20/- बल्क लीटर

(v) भारत में आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद) की सभी शक्तियों के झारखंड राज्य में आयात के निमित्त अधिरोपित किया जाना वाला उत्पाद परिवहन पास फी -

क्र. सं.	मदिरा का प्रकार	परिवहन पास फी
1	सभी प्रकार के व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जीन, वोडका इत्यादि के लिए	रू0 110/-बल्क लीटर

(vi) देशी शराब/मसालेदार/ Flavoured देशी शराब के उपर अधिरोपित की जाने वाली उत्पाद कर की संरचना -

क्र॰ सं॰	**मदिरा का प्रकार**	**उत्पाद कर प्रति बल्क लीटर**
1	75^0 UP की देशी/मसालेदार/ Flavoured देशी शराब	रू0 1.70 प्रति बल्क लीटर
2	60^0 UP की देशी/मसालेदार/ Flavoured देशी शराब	रू0 8.40 प्रति बल्क लीटर
3	40^0 UP की देशी/मसालेदार/ Flavoured देशी शराब	रू0 14.10 प्रति बल्क लीटर

वर्तमान में सैचेट में 60^0 UP की देशी शराब एवं 35^0 UP की मसालेदार देशी शराब की आपूर्त्ति की जा रही है। देशी शराब की नई आपूर्त्ति व्यवस्था लागू होने के पश्चात सैचेट में पैकेजिंग व आपूर्त्ति की अनन्य विशेषाधिकार की व्यवस्था समाप्त की जायेगी। नई आपूर्त्ति व्यवस्था लागू के पश्चात बोतलों में देशी/मसालेदार/ Flavoured देशी शराब की आपूर्त्ति के लिए उपरोक्त दर से उत्पाद कर अधिरोपित किया जायेगा, जबकि पुराने उत्पादित सैचेट/बोतल, जो डिपो एवं दुकानों में रह जायेंगे, उनपर निम्नलिखित दर से उत्पाद कर अधिरोपित किया जायेगा तथा ड्यूटी की अंतर राशि JSBCL विभाग में जमा करना सुनिश्चित करेगा :-

क्र॰ सं॰	**मदिरा का प्रकार**	**उत्पाद कर प्रति बल्क लीटर**
1	60^0 UP की देशी शराब	रू0 7.60 प्रति बल्क लीटर
2	35^0 UP की मसालेदार देशी शराब	रू0 12.20 प्रति बल्क लीटर

अध्याय - 6

दुकानों से संबंधित सामान्य निर्देश

27. **खुदरा उत्पाद दुकानों का स्थानांतरण -** खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के क्रम में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों को दृष्टिपथ रखते हुए खुदरा उत्पाद दुकानों के स्थल स्थानांतरण की अनुमति जिला के उपायुक्त के द्वारा इस शर्त्त पर दी जा सकती है कि खुदरा उत्पाद दुकानों के स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित स्थल झारखंड उत्पाद अधिनियम में वर्णित नियमों एवं एतद संबंधी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय, सिविल अपील संख्या 12164-12166/2016 - ''State of Tamilnadu Vrs. K. Balu & ANR'' में दिनांक 15.12.2016 के अनुकूल हो। किसी भी परिस्थिति में दुकान का स्थानांतरण बिक्री अधिसूचना में घोषित दुकान की अवस्थिति क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में नहीं की जायेगी।

28. **खुदरा उत्पाद दुकानों के कार्य करने की अवधि** - खुदरा उत्पाद दुकानें पूर्वाह्न 11:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक संचालित की जा सकेंगी।

29. **खुदरा उत्पाद दुकानों को बंद करना** - (1) खुदरा उत्पाद दुकानें 26 जनवरी, 15 अगस्त,
2 अक्टूबर, विजयादशमी, रामनवमी, होली एवं मुहर्रम पर्व के अवसर पर बंद रहेंगी। इसके अतिरिक्त जिला के उपायुक्त केवल विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर अथवा निर्वाचन कार्य इत्यादि, के लिए यदि आवश्यक समझें, तो आत्मधारित आदेश पारित कर खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदी किसी क्षेत्र विशेष अथवा संपूर्ण जिले में करा सकेंगे। इसके लिए अनुज्ञाधारी को किसी प्रकार की क्षतिपूर्त्ति देय नहीं होगी, न ही न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद कर (डयूटी) की राशि में किसी प्रकार का सामंजन किया जायेगा।

(2) केवल विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका के आधार पर खुदरा उत्पाद दुकानों को बंद नहीं कराया जायेगा।

(3) अपरिहार्य कारणों से शराब की आपूर्त्ति में विलंब, किसी अन्य विधि व्यवस्था अथवा दैवीय विपत्ति या प्राकृतिक प्रकोप, सामाजिक आंदोलनों आदि संबंधी समस्याओं के फलस्वरूप यदि किसी प्रकार की कोई क्षति होती है, तो अनुज्ञप्तिधारी को किसी प्रकार क्षतिपूर्त्ति सरकार द्वारा देय नहीं होगी।

30. खुदरा उत्पाद दुकानों से कुछ व्यक्तियों को मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित किया जाना - (1) वैसे सभी व्यक्ति, जिनकी आयु 21 वर्ष से कम की है, उसे मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि विक्रेता को ऐसा प्रतीत होता है कि मदिरा का क्रय करने वाला व्यक्ति पूर्व से ही अधिक मदिरापान किये हुए हैं, तो उसे भी मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी।

(2) डयूटी में पदस्थापित वर्दीधारी कर्मी को भी मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी।

31. **अग्रिम प्रतिभूति राशि का वापस किया जाना** - इस नियमावली में प्रावधानित नियम 23 (3) में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति राशि बंदोबस्ती अवधि की समाप्ति के बाद वापस कर दी जायेगी। यदि बंदोबस्त दुकान से संबंधित सभी बकायों और दावों को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा किया जा चुका हो। ऐसा नहीं करने पर अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि में से देय राशि को समायोजित करते हुए शेष राशि को वापस कर दिया जायेगा।

32. **मदिरा की थोक बिक्री मूल्य एवं अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया-** राज्य सरकार/सदस्य, राजस्व पर्षद द्वारा निर्धारित फार्मूला एवं झारखंड उत्पाद (लेबल, निबंधन एवं मद्य दर निर्धारण) निमयावली, 2014 समय-समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के तहत आयुक्त उत्पाद के द्वारा मदिरा के अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य एवं थोक बिक्री मूल्य का निर्धारण किया जायेगा।

भविष्य में राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करते हुए उत्पाद वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त होने वाली वैट को उत्पाद कर में ही Merge करते हुए उत्पाद कर हेतु नया दर इस प्रकार निर्धारित किया जायेगा कि राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले प्रति इकाई राजस्व में कमी न हो एवं तदनुसार अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य, थोक बिक्री मूल्य इत्यादि में आवश्यक परिवर्तन किया जायेगा।

33. **खुदरा उत्पाद दुकानों में स्टॉक रजिस्टर का संधारण** - विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में अनुज्ञाधारी प्रतिदिन के स्टॉक का लेखा-जोखा नियमित रूप से संधारित करेगा। भविष्य में विभाग द्वारा अनुज्ञाधारी को यह निदेशित किये जाने पर कि वह सूचना प्रौद्योगिकी

तकनीकों का उपयोग करते हुए विहित विधि से स्टॉक का संधारण करें, तो विभाग द्वारा निर्धारित तिथि से यह उसके लिए बाध्यकारी होगा।

34. **आयुक्त उत्पाद द्वारा यथानिर्देशित तकनीकी संयंत्रों एवं आधारभूत संरचनाओं की स्थापना** - संपूर्ण झारखंड राज्य में कार्यरत खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारियों के पास मौजूद स्टॉक, इसकी बिक्री इत्यादि से संबंधित विवरणी केन्द्रीय रूप से प्राप्त करने के लिए आयुक्त उत्पाद द्वारा निदेशित किये जाने पर अनुज्ञाधारी Track & Trace Technology, IP based CCTV, Electronic Billing Machine से संबंधित संयंत्रों एवं आधारभूत संरचनाओं को अपने निजी खर्च पर अवश्य रूप से दुकान में स्थापित करेगा एवं इसे चालू अवस्था में रखेगा। इसके अतिरिक्त आयुक्त उत्पाद द्वारा इस संबंध में समय-समय पर दिये गये निदेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करेगा। इस संबंध में आयुक्त उत्पाद का निदेश नहीं मानने पर बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जायेगा।

35. **खुदरा उत्पाद दुकानों का निरीक्षण** - उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक उत्पाद से अन्यून सभी उत्पाद पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत खुदरा उत्पाद दुकानों का निरीक्षण कर सकेंगे। अवर निरीक्षक उत्पाद के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र अन्तर्गत सभी दुकानों का निरीक्षण माह में कम-से-कम एक बार किया जाना आवश्यक होगा तथा निरीक्षक उत्पाद अपने क्षेत्रान्तर्गत तीन माह में सभी दुकानों का निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे।

36. **थोक अनुज्ञाधारी एवं खुदरा अनुज्ञाधारी का लाभांश** - (1) भारत निर्मित विदेशी शराब यथा विस्की, ब्राण्डी, रम, जीन, बीयर, वाईन, Low Strength Carbonated Alcohlic Beverage (LAB) यथा ब्रीजर इत्यादि के लिए थोक विक्रेता का लाभांश अनुज्ञप्ति परिसर में लैंडिंग मूल्य का 2.5% तथा देशी/मसालेदार/ Flavoured देशी शराब की थोक बिक्री के लिए थोक अनुज्ञाधारी का लाभांश थोक अनुज्ञप्ति परिसर में लैंडिंग मूल्य का 1% निर्धारित किया जाता है।

(2) खुदरा अनुज्ञाधारी का लाभांश विदेशी मदिरा, आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद), बीयर, वाईन इत्यादि के लिए JSBCL के थोक बिक्री मूल्य (उत्पाद परिवहन कर सहित) का 12% निर्धारित किया जाता है। खुदरा अनुज्ञाधारी के लिए देशी/मसालेदार/ Flavoured देशी शराब के 75°up के 200ML के बोतल के लिए लाभांश प्रति बोतल रू0 4 तथा अन्य शक्तियों की 200ML के बोतल के लिए लाभांश प्रति बोतल रू0 3 निर्धारित किया जाता है। 300 ML एवं 600 ML की देशी/मसालेदार/ Flavoured देशी शराब के लए लाभांश 200 ML के लिए निर्धारित लाभांश के अनुपात में तय किया जायेगा।

(3) राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात खुदरा एवं थोक अनुज्ञप्तिधारी के लाभांश में परिवर्तन किया जा सकेगा।

37. **खुदरा उत्पाद दुकानों पर लगाया जाने वाले डिस्प्ले बोर्ड से संबंधित प्रक्रिया** - प्रत्येक खुदरा उत्पाद दुकानों (देशी शराब की ऑन एवं ऑफ, विदेशी शराब की ऑफ दुकान, शराब की कम्पोजिट दुकान) के उपर तीन गुणा आठ फीट का एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया जायेगा। बोर्ड पर दुकान का प्रकार, अनुज्ञप्तिधारी का नाम, वित्तीय वर्ष, अनुज्ञप्ति संख्या, विक्रेता का नाम तथा इसके नीचले भाग में लाल रंग से बड़े-बड़े अक्षरों में ''मदिरापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है'', लिखा जायेगा। इससे संबंधित प्रपत्र विभाग द्वारा निर्गत किया जायेगा।

38. **राजस्व एवं पुलिस पदाधिकारियों की भूमिका** - खुदरा उत्पाद दुकानों से राज्य सरकार को उत्पाद राजस्व की प्राप्ति होती है एवं मदिरा के किसी भी प्रकार के चौर्य व्यापार एवं अवैध शराब के सेवन से लोक स्वास्थ्य कुप्रभावित होता है एवं राजस्व की क्षति होती है। अतः मदिरा के चौर्य व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण करने हेतु सभी राजस्व एवं पुलिस पदाधिकारियों की यह जिम्मेवारी है कि वे प्रवर्तन एवं अन्य निरीक्षण कार्यों में उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

39. **खुदरा उत्पाद दुकानों से ग्राहकों को बिक्री की जाने वाली मदिरा की अधिकतम सीमा**- (1) खुदरा उत्पाद दुकानों से ग्राहकों को बिक्री की जाने वाली मदिरा की अधिकतम सीमा निम्नवत निर्धारित की जाती है :-

i भारत निर्मित विदेशी शराब/आयातित विदेशी शराब (मूल में बोतलबंद) - 4.5 लीटर (बीयर, वाईन, ब्रीजर/LAB इत्यादि कम शक्ति वाली पेय मदिरा को छोड़कर)

ii. देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब - 4.8 लीटर

नोट - बीयर, वाईन, ब्रीजर/LAB इत्यादि कम शक्ति वाली पेय मदिरा के लिए खुदरा बिक्री की उपरोक्त सीमा बाध्यकारी नहीं रहेगी, अर्थात उक्त मात्रा से अधिक मात्रा में बिक्री की जा सकती है।

(2) अस्थायी बार/रेस्तरां की अनुज्ञप्ति लेनेवाले व्यक्ति जिला के दुकान से उक्त सीमा से अधिक मात्रा में मदिरा का क्रय कर सकेंगे।

40. **खुदरा उत्पाद दुकानों में बिकने वाली मदिरा की मात्रा एवं शक्ति** - खुदरा उत्पाद दुकानों से बिकने वाली प्रति Packaged इकाई की मात्रा एवं अल्कोहिक शक्ति वही होगी, जो सरकार/राजस्व पर्षद द्वारा समय-समय पर प्रावधानित किया जायेगा।

41. **अनुज्ञप्ति की अवधि में मदिरा की बिक्री एवं अनुज्ञप्ति अवधि के बाद शेष बची मदिरा का निष्पादन** - अनुज्ञाधारी बंदोबस्ती की अवधि के लिए शराब की संपूर्ण न्यूनतम प्रत्याभूत कर (डयूटी) के अनुरूप मदिरा का उठाव अनुज्ञप्ति की अवधि के समाप्ति के पूर्व कर लेगा एवं इसकी बिक्री भी सुनिश्चित करेगा। अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति पर शेष बची मात्रा का निष्पादन राजस्व पर्षद के अनुदेशों की कंडिका 117 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

42. **अबंदोबस्त दुकानों का निस्तार** - जब किसी कारण से चार प्रयासों के बावजूद किसी खुदरा उत्पाद दुकान की बंदोबस्ती नहीं हो पाती है, तो अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा कारणों की जाँच के पश्चात भेजे गये प्रस्ताव पर आयुक्त उत्पाद, उक्त दुकानों के संचालन हेतु नीतिगत प्रस्ताव सरकार के पास ले जायेंगे एवं राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार दुकानों के संचालन पर आवश्यक निर्णय लिया जायेगा। अबंदोबस्त दुकानों का न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व कम करने/ स्थल परिवर्तन करने/दुकानों को समाप्त करने अथवा समाप्त किये जा रहे दुकानों के न्यूनतम प्रत्याभूत कर/न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद परिवहन कर का यथोचित न्याय संगत ढंग से जिला स्तर पर संचालित की जा रही दुकानों में वितरण किये जाने पर जिला के किसी अनुज्ञाधारी द्वारा कोई भी आपत्ति नहीं की जा सकेगी एवं इस संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

43. **अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु की दशा में अनुज्ञप्तियों का वैध वारिस को स्थानांतरण-** अनुज्ञप्ति के चालू रहने की अवधि में यदि अनुज्ञप्तिधारी का निधन हो जाता है, तो वैसी परिस्थिति में खुदरा उत्पाद अनुज्ञप्तियाँ तबतक क्रियाशील रहेंगी, जबतक कि उसका स्थानांतरण जिला के उपायुक्त के द्वारा भूतपूर्व अनुज्ञाधारी के वैध वारिस को नहीं कर दिया जाता है, बशर्त्ते कि इस अनुज्ञप्ति के माध्यम से राज्य को प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के देयताओं एवं दावों की भरपाई कर दी गई हो एवं भूतपूर्व अनुज्ञप्तिधारी का वैध वारिस अनुज्ञप्ति धारण करने का पात्र हो। अनुज्ञप्ति नवीकरण के संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर उपायुक्त के द्वारा एक माह के अंदर इस संबंध में निर्णय ले लिया जायेगा।

44. **मदिरा की बिक्री, अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य पर किया जाना** - अनुज्ञाधारी मदिरा के बोतलों के लेबलों पर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा। ऐसा करने की स्थिति में जाँचोपरांत अनुज्ञप्ति विखंडित करने की कार्रवाई की जायेगी।

45. **खुदरा उत्पाद दुकानों की युनिक** (**Unique**) **अनुज्ञप्ति संख्या** - दुकानों की अनुज्ञप्ति संख्या युनिक ((**Unique**) होगी। इसे निम्नवत लिखा जायेगा :-

i. जिला का नाम (अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम तीन अक्षर)/अनुज्ञप्ति का प्रकार (संक्षिप्त कोड में) / अनुज्ञप्ति संख्या/वित्तीय वर्ष। उदाहरणस्वरूप - राँची जिला की विदेशी शराब दुकान की अनुज्ञप्ति संख्या निम्नवत लिखी जायेगी - RNC_FL_001/2018-19

अध्याय - 7

निलंबन, निरस्तीकरण और शास्तियाँ

46. **अनुज्ञप्ति का निलंबन, निरस्तीकरण और शास्तियाँ** - (1) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को निलंबित या निरस्त कर सकता है -

क) यदि अनुज्ञप्ति परिसर में मदिरा की कोई बोतल पायी जाय, जिसपर शुल्क/कर का भुगतान नहीं किया गया हो, और जिसपर आयुक्त उत्पाद द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में उत्पाद विभाग द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित सुरक्षा कोड चिपकाया नहीं गया हो।

ख) यदि अनुज्ञप्ति परिसर में किसी अन्य प्रकार की शराब या मादक औषधि के बोतल या पात्र (जिसके लिए अनुज्ञप्ति स्वीकृत नहीं की गई है), की बोतल या पात्र पाये जाते हैं।

ग) अधिनियमों व नियमों के उपबंधों के विरूद्ध अनुज्ञप्तिधारी के कब्जे में यदि कोई मदिरा या मादक औषधि पाया जाता है।

घ) यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथ पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है एवं उसमें किया गया कथन असत्य पाया जाता है।

ङ) यदि यह पाया जाता है कि अनुज्ञप्ति फर्जी नाम से प्राप्त किया गया है या अनुज्ञप्तिधारी किसी अन्य व्यक्ति के नाम अनुज्ञापन धारण किये हुए हैं।

च) यदि अनुज्ञप्तिधारी उत्पाद परिवहन कर एवं अन्य देयताओं की मासिक किस्त या प्रतिभूति धनराशि में कमी की पूर्त्ति विहित अवधि में जमा करने में विफल रहता है।

छ) यदि अनुज्ञप्तिधारी उत्पाद अधिनियम में या किसी संज्ञेय एवं गैरजमानतीय अपराध में या स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या भारतीय दण्ड संहिता के अधीन किसी अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।

अनुज्ञप्ति प्राधिकार के द्वारा अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण एवं प्रतिभूति के समपहरण के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी नोटिस प्राप्ति के सात दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात एतद संबंधी उपयुक्त आदेश पारित करेगा।

(2) अनुज्ञप्ति निरस्त किये जाने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा की गई अग्रिम उत्पाद परिवहन कर एवं प्रतिभूति धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त हो जायेगी और अनुज्ञप्तिधारी कोई प्रतिकर या वापसी के दावे का हकदार नहीं होगा। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को काली सूची में भी डाला जायेगा तथा उसे अन्य कोई आबकारी लाईसेंस धारित करने से वर्जित किया जायेगा।

47. **झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा 68 के अंतर्गत खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा की जा रही अनियमितता का प्रशमन (Compounding) -** (1) झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा 68 के अंतर्गत प्रशमनीय अनियमितताओं के मामलों में प्रशमन शुल्क की राशि में एकरूपता बनाये रखने के दृष्टिकोण से निम्नरूपेण प्रशमन शुल्क अधिरोपित किया जा सकता है :-

क्र०	**अनियमितता/उल्लंघन का प्रकार**	**प्रथम बार (रू0 में)**	**द्वितीय बार (रू0 में)**	**तृतीय बार (रू0 में)**
1	2	3	4	5
1	अनधिकृत विक्रेता द्वारा बिक्री करते हुए पाया जाना	5000 (पाँच हजार)	7000 (सात हजार)	10000 (दस हजार)
2	स्टॉक रजिस्टर मांगने पर न प्रस्तुत करना।	10000 (दस हजार)	15000 (पंद्रह हजार)	20000 (बीस हजार)
3	स्टॉक रजिस्टर अद्यतन न भरा जाना।	5000 (पाँच हजार)	10000 (दस हजार)	15000 (पंद्रह हजार)
4	बोतलों और पौव्वों या उनके लेबलों, सुरक्षा प्रणाली अथवा बार कोड पिल्फर प्रुफ कैप या सील से जानबूझकर बिगाड़ करना। अनुज्ञप्ति परिसर में कैरामल, रंग, सुगंधि, सुरक्षा प्रणाली अथवा बारकोड, लेबल, कैप्सूल, मुहर अथवा अन्य निषिद्ध सामग्री का पाया जाना। दुकान में नॉन डयूटी पेड स्टॉक पाया जाना।	अनुज्ञप्ति विखंडन की कार्यवाही की जायेगी।		

5	बिक्री में वृद्धि हेतु ग्राहक को प्रलोभन देना, जुआ अथवा नृत्य का आयोजन करना।	100000 (एक लाख)	150000 (एक लाख पचास हजार)	200000 (दो लाख)
6	ड्यूटी पेड स्टॉक को अनाधिकृत परिसर/गोदाम में संचित करना।	25000 (पच्चीस हजार)	30000 (तीस हजार)	50000 (पचास हजार)
7	लेखानुसार मात्रा से अधिक ड्यूटी पेड स्टॉक का पाया जाना।	250000 (दो लाख पचास हजार)	300000 (तीन लाख)	500000 (पाँच लाख)
8	खुली मदिरा की बिक्री किया जाना। मदिरा का जलापमिश्रण/तनुकरण पाया जाना/उच्च श्रेणी की मदिरा में निम्न श्रेणी की मदिरा का अपमिश्रण।	अनुज्ञप्ति विखंडन की कार्यवाही की जायेगी।		
9	मद्य निषेध दिवसों/बंदी के दिनों में मदिरा की बिक्री किया जाना।	30000 (तीस हजार)	40000 (चालीस हजार)	50000 (पचास हजार)
10	बिना अनुमति परिसर में परिवर्तन करना।	अनुज्ञप्ति विखंडन की कार्यवाही की जायेगी।		
11	निर्धारित अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा का विक्रय।	अनुज्ञप्ति विखंडन की कार्यवाही की जायेगी।		
12	अनुज्ञप्ति परिसर के बाहर नियमानुसार साइनबोर्ड न लगा पाया जाना। साइन बोर्ड में आवश्यक सूचना अंकित न करना अथवा त्रुटिपूर्ण ढंग से अंकित करना। अनुज्ञप्ति परिसर में प्रमुख बिकने वाले ब्रांडों के अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य (MRP) का डिस्पले बोर्ड नहीं लगाया जाना।	10000 (दस हजार)	15000 (पंद्रह हजार)	20000 (बीस हजार)
13	दुकान में सफाई की समुचित व्यवस्था न पाया जाना।	2000 (दो हजार)	5000 (पाँच हजार)	10000 (दस हजार)
14	अन्य कोई अनियमितता, जो क्रमांक 01 से 13 तक पर अंकित न हो।	इस संबंध में अनियमितता दर्ज करते हुए जिला उत्पाद पदाधिकारी द्वारा आयुक्त उत्पाद को अवगत कराते हुए मार्गदर्शन प्राप्त किया जायेगा।		

(2) उपरोक्त वर्णित तीन अनियमितताओं के दर्ज किये जाने के उपरांत अनुज्ञप्ति विखंडित कर दी जायेगी।

अध्याय - 8

सामान्य

48. ठोस अवशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार दुकानों पर उपभोग किये जाने के उपरांत खाली हुए पेट/शीशे की बोतलों एवं उनपर प्रयुक्त ढक्कनों को नष्ट करके हटाने की जिम्मेवारी दुकान के अनुज्ञाधारी/विक्रेता की होगी।

49. अनुज्ञप्ति प्राधिकार के द्वारा दुकानों की प्रास्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दुकान को भू-टैग किया जायेगा।

50. इस नियमावली को पूर्णरूपेण प्रवृत्त करने के निमित्त दुकान की बंदोबस्ती की प्रक्रिया (लॉटरी अथवा ई-लॉटरी) वही होगी, जैसा कि आयुक्त उत्पाद निश्चित करें।

51. खुदरा उत्पाद दुकानों की अनुज्ञप्ति हेतु इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र एवं अन्य प्रपत्रों में आवश्यकतानुसार संशोधन आयुक्त उत्पाद द्वारा किया जा सकेगा।

52. खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती प्राप्त करने के उपरांत कोई भी आवेदक दुकानों को किसी अन्य व्यक्ति को Sub-lease नहीं कर पायेगा। ऐसा किये जाने की स्थिति में उस आवेदक के साथ बंदोबस्ती की गई सभी अनुज्ञप्तियाँ विखंडित कर दी जायेंगी तथा उनके द्वारा जमा जमानत की राशि एवं सभी प्रकार की अग्रिम राशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अनुज्ञाधारियों के विरूद्ध विभाग भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य संबंधित कानूनों के तहत अभियोग दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई के लिए प्रवृत्त होगा।

53. झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018 में प्रयुक्त शब्द अथवा नियम की व्याख्या में संशय होने पर आयुक्त उत्पाद के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा। इस संबंध में आयुक्त उत्पाद का निर्णय अंतिम होगा। इस नियमावली के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन, राजस्व हित, प्रशासनिक हित तथा व्यावसायिक सुगमता हेतु आयुक्त उत्पाद निर्देश जारी करने एवं निर्णय लेने हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे।

54. इस नियमावली के तहत प्रदत्त सभी प्रकार के शराब की बिक्री के खुदरा उत्पाद दुकानों के अनुज्ञप्तिधारी, झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915, इस अधिनियम के तहत बने नियमों, आदेशों, निर्देशों, परिपत्रों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

55. खुदरा उत्पाद दुकानों के बंदोबस्ती से संबंधित इस नीति को समीक्षोपरांत राज्य सरकार कभी भी समाप्त/संशोधित कर सकती है। इसके लिए अनुज्ञप्तिधारी को किसी प्रकार का क्षतिपूर्त्ति अथवा मुआवजा नहीं दिया जायेगा।

56. **निरसन** - (1) सभी प्रकार के शराब की खुदरा बिक्री के दुकान से संबंधित, सभी पूर्व निर्गत नियमावली, इस नियमावली के तहत दुकानों का संचालन प्रारम्भ होने की तिथि से निरसित

हो जायेंगी और सभी खुदरा शराब दुकानों की बंदोबस्ती की कार्रवाई इस नियमावली अथवा इस नियमावली के अधीन निर्गत सभी आदेश/अनुदेश के अधीन की जायेगी।

(2) इस नियमावली के पूर्ण रूप से प्रवृत्त करने के निमित्त आयुक्त उत्पाद, जिसे वे उचित समझे निदेश/आदेश/प्रपत्र/विहित फार्म जारी कर सकेंगे, परंतु ऐसा कोई निदेश/आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा, जो इस नियमावली के विपरीत हो।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

राहुल शर्मा,
सरकार के सचिव।

अनुसूची -1

विदेशी मदिरा की ऑफ दुकान, ऑन एवं ऑफ कम्पोजिट दुकान, बीयर एवं वाइन की ऑफ बिक्री की दुकान, Departmental Stores में भारत निर्मित विदेशी मदिरा/आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद) की बिक्री की दुकानें तथा मॉल में विदेशी मदिरा की दुकानों के लिए आवेदन शुल्क निम्नवत वसूलनीय होगा

क्र. सं.	अनुज्ञप्ति क्षेत्र का नाम	देय आवेदन शुल्क (Non Refundable) (अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करते समय)
1	सभी नगर निगम क्षेत्र, बोकारो स्टील सिटी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र शहरी एवं इनके तीन किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	रू0 20000/- (बीस हजार) प्रति आवेदन
2	सभी नगर परिषद क्षेत्र एवं इनके दो किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	रू0 15000/- (पंद्रह हजार) प्रति आवेदन
3	सभी नगर पंचायत क्षेत्र एवं इनके एक किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	रू0 10000/- (दस हजार) प्रति आवेदन
4	सभी जिलों के प्रखण्ड मुख्यालय (नगर निगम क्षेत्र एवं नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित प्रखण्ड मुख्यालय को छोड़कर) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में	रू0 5000/- (पाँच हजार) प्रति आवेदन

2. **देशी मदिरा की ऑन एवं ऑफ दुकान के लिए आवेदन शुल्क निम्नवत वसूलनीय होगा -**

क्र. सं.	अनुज्ञप्ति क्षेत्र का नाम	देय आवेदन शुल्क (Non Refundable) (अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करते समय)
1	सभी नगर निगम क्षेत्र, बोकारो स्टील सिटी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र शहरी एवं इनके तीन किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	रू0 10000/- (दस हजार) प्रति आवेदन
2	सभी नगर परिषद क्षेत्र एवं इनके दो किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	रू0 8000/- (आठ हजार) प्रति आवेदन
3	सभी नगर पंचायत क्षेत्र एवं इनके एक किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	रू0 5000/- (पाँच हजार) प्रति आवेदन
4	सभी जिलों के प्रखण्ड मुख्यालय (नगर निगम क्षेत्र एवं नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित प्रखण्ड मुख्यालय को छोड़कर) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में	रू0 3000/- (तीन हजार) प्रति आवेदन

3. **विदेशी मदिरा की ऑफ दुकान तथा ऑन एवं ऑफ कम्पोजिट दुकान के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क निम्नवत वसूलनीय होगा -**

क्र. सं.	अनुज्ञप्ति क्षेत्र का नाम	वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क (अनुज्ञप्ति प्राप्ति के पूर्व एकमुश्त जमा करने हेतु)
1	सभी नगर निगम क्षेत्र, बोकारो स्टील सिटी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र शहरी एवं इनके तीन किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	रू0 100000/- (एक लाख)
2	सभी नगर परिषद क्षेत्र एवं इनके दो किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	रू0 75000/- (पचहत्तर हजार)
3	सभी नगर पंचायत क्षेत्र एवं इनके एक किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	रू0 50000/- (पचास हजार)
4	सभी जिलों के प्रखण्ड मुख्यालय (नगर निगम क्षेत्र एवं नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित प्रखण्ड मुख्यालय को छोड़कर) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में	रू0 25000/- (पच्चीस हजार)

4. **देशी मदिरा की ऑफ एवं ऑन दुकान के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क निम्नवत वसूलनीय होगा -**

क्र. सं.	अनुज्ञप्ति क्षेत्र का नाम	वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क (अनुज्ञप्ति प्राप्ति के पूर्व एकमुश्त जमा करने हेतु)
1	सभी नगर निगम क्षेत्र, बोकारो स्टील सिटी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र शहरी एवं इनके तीन किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	रू0 50000/-(पचास हजार)
2	सभी नगर परिषद क्षेत्र एवं इनके दो किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	रू0 40000/- (चालीस हजार)
3	सभी नगर पंचायत क्षेत्र एवं इनके एक किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	रू0 25000/- (पच्चीस हजार)
4	सभी जिलों के प्रखण्ड मुख्यालय (नगर निगम क्षेत्र एवं नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित प्रखण्ड मुख्यालय को छोड़कर) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में	रू0 15000/- (पन्द्रह हजार)

5. **धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) -**

क्र. सं.	**शुल्क का प्रकार**	**शुल्क की राशि**	**अभ्युक्ति**
1	धरोहर धनराशि **((Earnest Money Deposit)**	दुकान से प्राप्त होने वाला कुल उत्पाद राजस्व (उत्पाद कर +उत्पाद परिवहन कर) का 2%	असफल आवेदकों की राशि वापस कर दी जायेगी तथा सफल आवेदकों की राशि, जमानत की राशि (Security Deposit) के विरूद्ध सामंजित कर दी जायेगी।

4. **जमानत की राशि (Security Deposit) -**

क्र०	**शुल्क का प्रकार**	**दुकान के लिए निर्धारित कुल उत्पाद राजस्व का प्रतिशत**
1	जमानत की राशि (Security Deposit)	5%

5. **उत्पाद कर** (Excise Duty) - झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा 27 एवं 28 के तहत विभिन्न प्रकार के मदिराओं के उपर अधिरोपित किया जाने वाला राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कर ।

न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद कर का अर्थ खुदरा उत्पाद दुकानों से प्राप्त होने वाला कुल उत्पाद राजस्व (उत्पाद कर +उत्पाद परिवहन कर) का 15% है।

6. **उत्पाद परिवहन कर (Excise Transport Duty)** - दुकानां से प्राप्त होने वाले कुल उत्पाद राजस्व (उत्पाद कर +उत्पाद परिवहन कर) का 85% ।
7. **दुकान की बंदोबस्ती के समय अग्रिम रूप से जमा किया जाने वाला उत्पाद परिवहन कर** - दुकान से प्राप्त होने वाला कुल उत्पाद राजस्व (उत्पाद कर +उत्पाद परिवहन कर) का 10% ।
8. आवेदन शुल्क के अतिरिक्त केन्द्र तथा राज्य सरकार के सभी प्रकार के करों की देयता आवेदक की होगी।

नोट :- उपरोक्त अनुसूची में वर्णित उत्पाद परिवहन कर एवं उत्पाद कर की दर व अनुपात में समय-समय पर सक्षम प्राधिकार द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 1148 -- 200